राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का एक सौ बानवेवां दिवस [संख्या: 30

बुधवार,

02 अगस्त 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न।

अनुरोध एवं मांग

श्री मदन दिलावर, निलम्बित माननीय सदस्य का निलम्बन निरस्त करने का अनुरोध

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य को जिस प्रकार निलम्बित किया गया ...(व्यवधान)

श्री सतीश पूनियां (आमेर): मदन नहीं तो सदन नहीं। मदन नहीं तो सदन नहीं। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) कई बार इस तरह की परिस्थितियां रही हैं ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य का निष्कासन जब तक रद्द नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) क्या है? क्या है? जाना हो तो जाओ ...(व्यवधान)

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ...(व्यवधान) आपको शर्म आनी चाहिये थोड़ी बहुत तो। राठौड़ साहब, थोड़ी बहुत शर्म करो। आप किस तरह हमारे अध्यक्ष से बोल रहे हो ...(व्यवधान) शर्म ही नहीं आती ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय राठौड़ साहब, माननीय राठौड़ साहब। (व्यवधान) माननीय सदस्य, सुनना नहीं चाहते? माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। Mr. Ramlal, I am on legs. Mr. Ramlal, I will name you. Mr. Aakya, I will name you. Please go to your seat. Mr. Aakya, यह गलत परम्परा डाल रहे हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, संसदीय परम्पराओं के निर्वहन में हिन्दुस्तान में राजस्थान की विधान सभा आदर्श रही है। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, आपका जो भी प्रश्न है, जीरो ऑवर में उठाएं। प्रश्न काल को डिस्टर्ब करने की हमारी परम्परा नहीं रही है। मैं आपसे आशा करता हूं कि जो आपका अधिकार है उस अधिकार का उपयोग करेंगे, प्रश्न काल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। माननीय सदस्य श्री धर्मेन्द्र कुमार। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप अजीब हो, यह बिलकुल गलत परम्परा है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य श्री धर्मेन्द्र कुमार। Mr. Aakya, I will name you. I warn you for the last time. Mr. Aakya, I will name you. Last time I am warning you. (व्यवधान) I said, I have given an opportunity. (व्यवधान) I am on legs. I am on legs. Mr. Rathore, I will name them. I say it last time, I will name them. Don't make a fool of this. राजस्थान की परम्परा को खतम करके, मिस्टर राठौड़, you are a Senior Parliamentarian and आज दिन तक इतिहास में कभी क्वेश्चन ऑवर डिस्टर्ब नहीं हुआ है। मैंने आपको कहा है जीरो ऑवर में मैं आपको अलाउ करूंगा। (व्यवधान) धर्मेन्द्र कुमार। मैंने आपको कहा है, I am on legs. आप पार्लियामेंटेरियन हैं, I am on legs. You are a Senior Parliamentarian and मैं आपका सम्मान करता हूं। विपक्ष के नेता और आपके सदस्यों की भावना को समझकर मैं जीरो ऑवर में इस पर मौका दूंगा, प्रश्न काल को डिस्टर्ब नहीं करें, प्लीज। धर्मेन्द्र कुमार। (व्यवधान) माननीय सदस्य, Mr. Aakya, I warn you for the last time. लास्ट डे मुझे compel नहीं करें। मैं आज भी राजस्थान की संसदीय परम्पराओं को uphold करना चाहता हूं और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि हमारी जिन संसदीय परम्पराओं को दूसरे प्रदेश वाले फोलो करते हैं, उन परम्पराओं का ध्यान रख कर मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, मैं जीरो ऑवर में आपको पूरा मौका दूंगा, प्लीज। मैं जीरो ऑवर में मौका दूंगा।

धर्मेन्द्र कुमार।

तारांकित प्रश्नोत्तर

पीलीबंगा के स्वास्थ्य केन्द्रों के विद्युत बिलों का भुगतान

599. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा विगत तीन वर्ष में विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के उप स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विद्युत बिलों का भुगतान किस मद से किया गया? वर्षवार एवं चिकित्सालयवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त केन्द्रों के विद्युत बिल को बचाने हेतु सोलर प्लांट लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्रों में विद्युत व्यवस्था हेतु जनरेटर उपयोग में लिए जाते हैं? यदि हां, तो उक्त जनरेटरों में विगत तीन वर्षों में कितना ईंधन खपत किया गया व उक्त के बिल का भुगतान किस मद से किया गया? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): साहब, यह स्थगित कर दिया।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी। परसादी लाल जी, प्लीज।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से यह प्रश्न स्थगित कर दिया गया है।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): साहब, इसका जवाब तो मुझे मिल जायेगा न?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नरेन्द्र नागर।

खानपुर में तारबन्दी योजना से लाभान्वित किसान

600. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में किसानों की फसल को आवारा जानवरों से सुरक्षा हेतु तारबन्दी की योजना संचालित है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त योजना में प्रतिवर्ष कितना बजट व्यय किया जाता है?

(श्री नरेन्द्र नागर)

(2) विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र खानपुर में उक्त योजना का लाभ कितने किसानों को मिला? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) जी हां। इस योजना के प्रारम्भ वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 तक की व्यय राशि का विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र.सं.	वर्ष	तारबंदी योजना में व्यय राशि
1	2017-18	2 करोड़ 1 लाख 36 हजार रुपये
2	2018-19	2 करोड़ 31 लाख 10 हजार रुपये
3	2019-20	3 करोड़ 30 लाख 48 हजार रुपये
4	2020-21	5 करोड़ 19 लाख 50 हजार रुपये
5	2021-22	5 करोड़ 99 लाख 3 हजार रुपये
6	2022-23	50 करोड़ 84 लाख 95 हजार रुपये
योग		**69 करोड़ 66 लाख 42 हजार रुपये**

वर्ष 2023-24 के लिए तारबंदी योजना में 444 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से दिनांक 26 जुलाई, 2023 तक 4 करोड़ 95 लाख 40 हजार रुपये व्यय किया गया है।

(2) विगत 3 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र खानपुर में तारबंदी योजना के अन्तर्गत 127 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। वर्षवार संख्यात्मक विवरण निम्न प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	लाभान्वित कृषकों की संख्या
2020-21	13
2021-22	11
2022-23	103
योग	**127**

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 2023-24 के वित्तीय बजट में 444 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान सरकार के द्वारा रखा गया है, इसमें पिछले चार महीने में 4 करोड़ 95 लाख 40 हजार रुपये ही व्यय हुए हैं। मंत्री जी, क्या आगे आने वाले तीन महीने में इस स्पीड को बढ़ाने का

(श्री नरेन्द्र नागर)

प्रयास करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का फायदा मिल सके? पहला प्रश्न तो यह है।

श्री अध्यक्ष: एक का उत्तर आने दें।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, यह सही है कि हमने अभी तक 4 करोड़ रुपये व्यय किये हैं। आने वाले समय में आपकी जो भी पेंडेंसी है, जैसे ही फसल कटाई होगी, जैसे ही खेत खाली होंगे, जितने भी किसान हैं, सबकी तारबन्दी कर दी जायेगी।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि योजना अच्छी है और इसका लाभ वास्तव में किसानों को मिलेगा तो बहुत बड़ा लाभ होगा, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में, माननीय मंत्री महोदय, पिछले तीन वर्ष में 127 किसान ही लाभान्वित हुए हैं। क्या सरकार की मंशा ज्यादा किसानों को लाभ देने की है? चूंकि तारबन्दी की वजह से बहुत किसान प्रभावित हैं तो क्या सरकार इस योजना में और ज्यादा से ज्यादा कृषकों को जोड़ने का विचार रखती है?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि देश में राजस्थान इसमें अव्वल नंबर पर है। अभी हाल ही में यू पी सरकार ने भी अधिकारिक मीटिंग की थी, वे भी अब इसको लागू करना चाहते हैं। पूरे देश में केवल राजस्थान ऐसा प्रदेश है, जिसमें सबसे ज्यादा तारबन्दी हो रही है।

श्री अध्यक्ष: राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि तारबन्दी में प्रदेश अव्वल है, इसमें 444 करोड़ का प्रावधान है और आपने खर्च किये हैं 4 करोड़ 95 लाख रुपये। वर्तमान में आपके पास में कितने आवेदन लंबित हैं? क्या यह सही है कि बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं, जिनको प्रोसेस ही नहीं किया गया है?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): आपको प्रदेश के आंकड़े चाहिये या खानपुर के चाहिये?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): आपने प्रदेश का आंकड़ा बोला है, मैंने इसीलिए प्रदेश का सवाल किया है, वरना मैं नहीं करता।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): मैंने बताया है कि प्रदेश में जितने भी लंबित केस हैं, वे लगातार जारी हैं, उनकी लगातार प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो रही हैं। अगर आपको प्रदेश के आंकड़े चाहिये तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बाबूलाल नागर।

बीसलपुर-दूदू पेयजल योजना की सूरजपुरा से सांभर तक क्षतिग्रस्त पाइप लाइन

601. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बीसलपुर-दूदू पेयजल योजना से 539 राजस्व गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने वाली सूरजपुरा से सांभर तक (TM-1) मुख्य पाइप लाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है? क्या उक्त हेतु जुलाई, 2021 में 265.96 करोड़ रुपये की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है? यदि हां, तो उक्त के कार्य की प्रगति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मुख्य पाइप लाइन का कार्य कब तक प्रारम्भ कर पूर्ण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) बीसलपुर-दूदू पेयजल परियोजना के अंतर्गत सूरजपुरा हैडवर्क्स से सांभर कस्बे तक 5 कस्बों क्रमशः मालपुरा, फुलेरा, सांभर, किशनगढ़ रेनवाल एवं जोबनेर तथा पंचायत समिति टोडारायसिंह, मालपुरा, दूदू, मौजमाबाद, सांभर, किशनगढ़ रेनवाल एवं जोबनेर के ग्रामों हेतु वर्ष 2008-09 में बिछाई गई पी.एस.सी.सी. मुख्य ट्रांसमिशन पाइप लाइन टी.एम.-1 वर्तमान में भी कार्यरत है।

उक्त क्षेत्रों में बीसलपुर बांध से पेयजल आपूर्ति हेतु मुख्य ट्रांसमिशन पाइप लाइन टी.एम.-1 का डिज़ाइन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर अभिकल्पन वर्ष 2021 तक की अभिकल्पित आबादी की कुल पेयजल मांग 59.00 मिलियन लीटर प्रतिदिन के अनुरूप किया गया था।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से घरेलू जल संबंधों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उक्त वर्णित कस्बों एवं ग्रामों की वर्ष 2053 तक की अभिकल्पित कुल पेयजल मांग की पूर्ति हेतु, उक्तानुसार पूर्व में बिछी हुई पी.एस.सी.सी. मुख्य ट्रांसमिशन टी.एम.-1 पाइप लाइन की क्षमता पर्याप्त नहीं होने के कारण, इस पाइप लाइन के समानान्तर नवीन डी.आई. पाइप लाइन द्वारा अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु राशि रुपये 265.96 करोड़ की योजना की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की 25वीं बैठक दिनांक 02.07.2021 के द्वारा जारी की जा चुकी है। योजना की तकनीकी स्वीकृति राशि रुपये 255.94 करोड़ की विभागीय तकनीकी समिति की 751वीं बैठक दिनांक 21.07.2023 के द्वारा जारी की जा चुकी है। वर्तमान में योजना के स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) उपरोक्तानुसार वर्तमान में योजना के स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कार्यादेश जारी होने के उपरान्त कार्य 20 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया, प्रश्न पूछिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बीसलपुर-दूदू पेयजल योजना के टी.एम. फर्स्ट मुख्य लाइन में 539 गांव, कस्बे और हजारों ढाणियां हैं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने इसका टेंडर आमंत्रित कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना-सा पूछना चाह रहा हूं कि यह काम कब तक शुरू कर दिया जायेगा?

नंबर दो, चूंकि इसमें दो जिले हैं, चार विधान सभा का पूरा क्षेत्र इसमें आता है, आपने बीसलपुर के कुल आरक्षित पानी में ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): प्रश्न ही पूछ रहा हूं। टी.एम. फर्स्ट में केवल 55 एमएलडी पानी आपने आरक्षित किया है। यह एक तो बिना किसी आधार के किया हुआ है। आपकी योजना में अभी टाइम लग जायेगा। यह 55 एमएलडी दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): जो 55 एमएलडी पानी आरक्षित है, क्या वह पूरा का पूरा टीएम-1 में देने का मन रखते हैं? एक और, सर। अध्यक्ष महोदय, जब ज्यादा बरसात होती है तो पानी उलटा बाहर भेजते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। पहले एक प्रश्न का उत्तर दें।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की अभिशंसा पर, इस काम में जो देरी हुई थी, उसके बाद, चूंकि ये टेण्डर कैंसिल हो गये थे। कई बार ऐसा होता है कि बिड नहीं आ पाती है। कई कारणों से इसमें देरी हुई, लेकिन अब हमने इसके टेण्डर लगा दिये हैं। एक तारीख को हमने इसका टेण्डर फ्लॉट किया है, यानी कि कल हमने इसका टेण्डर फ्लॉट किया है। टेण्डर में जो समय है, वह समय पूरा होते ही जैसे ही निविदाएं आयेंगी, हम तुरन्त खोलकर इसका काम शुरू करायेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और जून 2025 तक यह काम पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

दूसरी बात आपने 55 एलसीपीडी से पानी देने की बात की है। जो पुरानी पाइप लाइन है, इसमें हम जैसे ही प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसमें लीकेज हो जाता है, उस लीकेज के बाद हमको उसका शटडाउन करना पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं आती हैं। वर्तमान में तो 55 एलसीपीडी पानी दिया जाना संभव नहीं है, लेकिन इसके टेण्डर फ्लॉट हुए हैं, काम पूरा होगा, उसके बाद आप निश्चित मानिये कि आपके विधान सभा क्षेत्र में 55 एलसीपीडी से पानी दिया जायेगा।

आप जो तीसरी बात पूछना चाह रहे हैं कि अभी हमें 1.26 टीएमसी का प्रावधान जल संसाधन विभाग ने और किया है, क्योंकि बीसलपुर में ड्रेजिंग का काम करवाया गया है तो उसमें पानी की क्षमता बढ़ गयी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके लिए 1.26 टीएमसी पानी के हिसाब से अजमेर जिले की चार परियोजनाओं को, जयपुर जिले की दो परियोजनाओं और टोंक जिले की एक परियोजना के लिए भी हमने सहमति दी है क्योंकि नवनेरा, गलवा, ईसरदा, बीसलपुर लिंक परियोजना में 4 से 5 वर्ष पानी लाने में लगेंगे, तब तक के लिए यह अरेंजमेंट हो जायेगा कि यह जो 1.26 टीएमसी पानी है, उससे हम आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 55 एमएलडी आरक्षित कर रखा है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो पानी इस मुख्य लाइन में दिया जा रहा था, जितना यह लाइन बर्दाश्त कर रही थी, उसी पानी को आराम से लाकर इन 539 गांवों तक पहुंचा रही थी, उसमें अचानक पानी की कटौती कर दी गयी है।

श्री अध्यक्ष: एक्सप्लेनेशन नहीं, प्रश्न क्या है?

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): मेरा यह कहना है कि जितना यह मुख्य लाइन झेल सकती है, क्या मंत्री जी उतना पानी बढ़ाने का मन रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, आप एक्सप्लेन करते जा रहे हैं।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको निवेदन किया, जैसे ही हम पानी बढ़ाते हैं, पुरानी पाइप लाइन होने की वजह से लीकेज आ जाता है। अभी जो व्यवस्था चल रही है, इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आये, इसलिए 55 एलसीपीडी पानी दिया जाना अभी संभव नहीं है, लेकिन जैसे ही नयी पाइप लाइन का काम पूरा हो जायेगा, हम 55 एलसीपीडी के हिसाब से पानी देंगे।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, मैं 55 के लिए नहीं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठें, अंकित नहीं होगा।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय राठौड़ जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, खण्ड-1 में आपने कहा कि 25वीं बैठक दिनांक 02.07.2021 को आपकी स्वीकृति हुई 255 करोड़ रुपये की। तकनीकी स्वीकृति एक साल बाद 21.07.2023 को आपने जारी की। अब आप काम पूरा करने के लिए 2025 की तारीख बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह काम 255 करोड़ रुपये का है और स्वीकृति 25वीं बैठक एसएलएसएससी में और काम पूरे चार साल पश्चात् समाप्त होगा। क्या यह सही है कि टेण्डर होने के बाद, दुबारा टेण्डर, तिबारा टेण्डर करके जान-बूझकर पुलिंग करवाकर इस कारण आपको इसको निरस्त करना पड़ा? क्या इस टेण्डर के अन्दर आपके पास कोई शिकायतें आयीं? आयीं तो क्या आपने जांच करवायी?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष मेरे से बहुत पुराने, संसदीय परम्पराओं को, विभागों के कामों को जानने वाले हैं। न तो इसमें किसी शिकायत के आधार पर टेण्डर को हमने निरस्त किया है। पहली बार में इसमें कोई निविदा नहीं आयी थी। उसके बाद बीएसआर की प्रोब्लम आ गयी और बीएसआर के हिसाब से रेट ज्यादा आयी तो एफडी डिपार्टमेंट ने उन सारी निविदाओं को, जिनमें ज्यादा रेट थी, उनको कैंसिल किया। किसी शिकायत के आधार पर कैंसिल नहीं किया है। माननीय नेता, प्रतिपक्ष, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जल जीवन मिशन का सारा काम पूरे पारदर्शी तरीके से होगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। अमित चाचाण।

हनुमानगढ़ के खातेदारों को भूमि सुधार हेतु जिप्सम के परमिट

602. श्री अमित चाचाण (नोहर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के कई जिलों में खातेदारों को जिप्सम की परत हटाकर भूमि सुधार के लिए नए परमिट जारी किये गए हैं? यदि हां, तो किन-किन जिलों में उक्त परमिट जारी किये गए हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा जिला हनुमानगढ़ के खातेदारों को जिप्सम की परत हटाकर भूमि सुधार के लिए परमिट जारी करने पर पाबन्दी है? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य जिलों की भांति उक्त जिले के खातेदारों को उक्त के परमिट जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) जी हां। यह सही है कि प्रदेश में भूमि सुधार हेतु खातेदारी भूमि से जिप्सम के उत्खनन/परत हटाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 21.10.2022 से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 52 के उप-नियम (3) में किये गये संशोधन के तहत संबंधित खातेदारों को नये परमिट जारी किये गये हैं। उक्त संशोधित प्रावधान के तहत राज्य में जारी किये गये नये परमिट का जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा हनुमानगढ़ जिले के खातेदारों को भूमि सुधार हेतु जिप्सम के परमिट जारी करने पर कोई पाबन्दी नहीं लगा

(खान मंत्री)

रखी है, खातेदारों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार परमिट जारी किये जा रहे हैं। उक्त जिले में खण्ड 1 में उल्लेखित अधिसूचना के तहत दिनांक 26.07.2023 तक 25 परमिट जारी किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अमित चाचाण (नोहर): सर, मुझे उत्तर मिल गया है। परमिट चालू हो गया है। मैं सन्तुष्ट हूं।

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। प्रश्न पूछ लें।

श्री अमित चाचाण (नोहर): सर, मैं सन्तुष्ट हूं।

श्री अध्यक्ष: सन्तुष्ट हैं। बहुत अच्छा है। माननीय मंत्री जी, बैठें। अगला प्रश्न। श्री निर्मल कुमावत।

फुलेरा की ग्राम पंचायतों को आबंटित राशि

603. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की सांभरलेक एवं किशनगढ़-रेनवाल पंचायत समिति में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में टी एफ सी, एस एफ सी व पंचायत समिति मद में कितनी राशि किस-किस कार्य व मद हेतु स्वीकृत की गयी? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि का वितरण ग्राम पंचायतों को किस आधार पर किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों को उक्त राशि आबंटित करने में भेदभाव किया गया है? यदि हां, तो क्यों? सरकार भेदभाव करने वालों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है?

पंचायती राज मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की पंचायत समिति किशनगढ़-रेनवाल एवं सांभरलेक में टी एफ सी योजना वर्ष 2010-15 तक ही थी, जिसके पश्चात् टी एफ सी योजना में कोई बजट आबंटन नहीं किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की पंचायत समिति किशनगढ़-रेनवाल एवं सांभरलेक में राज्य वित्त आयोग अंतर्गत पंचायत समितियों को वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में स्वीकृत किये गये कार्यों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

(पंचायती राज मंत्री)

क्र. सं.	पंचायत समिति	योजना	वर्ष	कार्यों की संख्या	राशि (लाखों में)
1	किशनगढ़-रेनवाल	एसएफसी षष्ठम	2021-22	24	113.00
2	किशनगढ़-रेनवाल	एसएफसी षष्ठम	2022-23	31	155.00
3	सांभरलेक	एसएफसी पंचम	2021-22	7	36.00
4	सांभरलेक	एसएफसी षष्ठम	2022-23	43	211.20
योग				**105**	**515.20**

सूचना परिशिष्ट-01 व 02 पर संलग्न है।

(2) विभागीय योजनान्तर्गत पंचायत समिति को देय अनुदान राशि की वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर प्रशासन एवं स्थापन स्थायी समिति द्वारा अनुमोदन किये जाने के उपरान्त स्वीकृत राशि का वितरण किया गया है। (परिशिष्ट-03)

(3) जी नहीं।

(सूचना एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। प्रश्न पूछें।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय मंत्री जी, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो सूची विभाग ने जवाब में दी है, इसमें सारी पंचायतों के नाम नहीं हैं क्योंकि इसमें कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से भेदभाव हुआ है, सबको पैसा नहीं बंटा है। भविष्य में सबको पैसा मिले, कोई ऐसी गाइडलाइन, कोई ऐसी बात अपने यहां से जाये। जिन पंचायतों को पैसा नहीं मिला, उनको बराबर पैसा कब दिलायेंगे? मुझे इतना ही आपसे पूछना है।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य को कहना चाहता हूं कि पंचायत समिति रेनवाल में करीब 20 ग्राम पंचायतों को पैसा मिला है। 5 को पैसा इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनके दस्तावेज अधूरे थे, इसलिए नहीं मिल पाया। सांभरलेक में 19 ग्राम पंचायतों को पैसा मिला है, 2 को वहां के सम्पूर्ण दस्तावेज नहीं होने के कारण पैसा नहीं मिल पाया है। माननीय सदस्य, कोई विशेष है तो मुझे लिखकर दे दें।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि पांच पंचायतों में एक रुपया पंचायत समिति से नहीं गया, तो यह सिर्फ

(श्री निर्मल कुमावत)

राजनीतिक रूप से नहीं गया। मेरा सरकार से इतना ही कहना है कि भविष्य में उन सबको बराबर मिले, इसके लिए अपन क्या व्यवस्था कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वे कह रहे हैं कि आप दस्तावेज दे दें, वे दे देंगे।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): दस्तावेज गये हुए हैं, आपके प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं करते।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तर सुन लें।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थापन समिति के अध्यक्ष, प्रधान और बी.डी.ओ. प्रशासन, ये पंचायतों की साधारण सभा में स्थापन समिति की एक कमेटी होती है। कमेटी में निर्णय लिया जाता है कि इसको कहां पैसा देना है। सब काम नियमों से हुए हैं। उसके बावजूद भी सदस्य की कोई शिकायत है तो मुझे बता दें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 604

श्री छगनसिंह।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री ललित कुमार।

बड़ी सादड़ी में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद

605. श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? उक्त केन्द्रों में कितने कार्यकर्ता, सहयोगिनी कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व कब तक? क्या सरकार पन्द्रह वर्षों से अधिक समय से कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्यकर्मियों के समान दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री ममता जी।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती ममता भूपेश): (1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के अन्तर्गत 3 बाल विकास परियोजनाएं क्रमश: डूंगला, बड़ी सादड़ी एवं भदेसर संचालित हैं। परियोजना डूंगला में 128, परियोजना बड़ी सादड़ी में 145 एवं परियोजना भदेसर में 47, कुल 320 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। उक्त केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/मिनी कार्यकर्ताओं व 230 सहयोगिनियों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	**नाम परियोजना**	**संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र**	**आंगनबाड़ी कार्यकर्ता**		**सहयोगिनी (चिकित्सा विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर)**		
			कार्यरत	**रिक्त**	**कार्यरत**	**नव चयनित**	**रिक्त**
1	डूंगला	128	124	4	89	5	1
2	बड़ी सादड़ी	145	141	4	90	8	0
3	भदेसर	47	47	0	34	1	2
	कुल	**320**	**312**	**8**	**213**	**14**	**3**

(2) राज्य सरकार द्वारा राज्य निधि मद से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय में दिनांक 01.04.2021 से 10 प्रतिशत, 01.04.2022 से 20 प्रतिशत एवं 01.04.2023 से 15 प्रतिशत अर्थात् कुल मानदेय दर में तीन बार में 45 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

जी नहीं। केन्द्र प्रवर्तित योजना समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र पर आंगनबाड़ी सेवाओं के बाबत भारत सरकार के निर्देशों के तहत निर्धारित मानदेय आधार पर मानदेय कर्मी कार्यरत हैं। ये राज्य कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं, न ही इन पर राजकीय सेवा नियम लागू होते हैं।

(3) आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से क्रमश: किराये के भवनों, नि:शुल्क भवनों, सामुदायिक भवनों एवं अंत में राजकीय विद्यालयों की एवज में निर्धारित नोर्म्स के अनुसार करवाया जाता है। विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण भारत सरकार से अनुदान राशि प्राप्त होने के पश्चात् नरेगा, 15वें वित्त आयोग इत्यादि योजनाओं के कन्वर्जेंस से करवाया जाता है।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में प्रतापगढ़ जिले की भी एक पंचायत समिति दमोदर पड़ती है, उसकी सूचना इसमें नहीं दी गयी है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न पूछें। एक हो गया।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो सूचना चाही गयी है, वह उनको आज ही भिजवा दी जायेगी और रिक्तियों के लिए नियम है और रिक्त पदों की पूरी प्रक्रिया है। उसकी विज्ञप्ति निकलती है, उस आधार पर प्रक्रिया जारी है और रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरा जायेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, बड़ी सादड़ी की जो पंचायत है, उसकी सूचना तो आनी चाहिए। माननीय सदस्य, आपका यही प्रश्न है?

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): जी, सर।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जब विभाग ने उत्तर दिया तो उन्हें यह जानकारी नहीं है कि बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौनसी पंचायतें हैं? उस पंचायत का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): कुछ रह गयी होंगी, वैसे तो बड़ी सादड़ी का पूरा दिया। बड़ी सादड़ी के अन्दर कुल आंगनबाड़ी केन्द्र 145 हैं, उनमें कार्यरत 141 हैं, रिक्त पद 4 हैं, कार्यरत 90 हैं, सहयोगिनी नव चयनित 8 हैं, जिनकी चयन प्रक्रिया चल रही है। यह दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: आप वापस पूछ लें।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में इन तीन के अलावा पंचायत समिति दमोदर, जिला प्रतापगढ़ भी पूरी की पूरी बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में पड़ती है और उसकी सूचना इसमें नहीं दी गयी है।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अध्यक्ष जी, शीघ्र भिजवा दी जायेगी, आज ही।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, विभाग को डायरेक्शन दें कि माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र का, तो सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि उस विधान सभा क्षेत्र में और कौन सी पंचायत समिति है। उस पंचायत समिति की सूचना इसमें इन्कार्पोरेट होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि विभाग को निर्देश दें कि जब विधान सभा में उत्तर दें तो कम से कम इतनी बात ध्यान रखें कि जो प्रश्न पूछा है, उसके रिलेवेंट जवाब आना चाहिए। ऑमिशन ठीक हो।

माननीय सदस्य, दूसरा प्रश्न पूछें।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): जो भवन विहीन आंगनबाड़ी हैं, उनमें कब तक भवन बना दिये जायेंगे?

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज, स्थानीय निकाय और राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आबंटित होने पर किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। इसमें विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण भारत सरकार द्वारा अनुदान राशि प्राप्त होने के पश्चात् 15वें वित्त आयोग व योजनाओं के कन्वर्जन से करवाया जाता है। इनके यहां पर भी नियमानुसार करवाया जा रहा है। अभी हम लोगों को भारत सरकार ने इस चीज के लिए 15 करोड़ रुपये दिए हैं। 90 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार का रहता है, 10 प्रतिशत राज्य सरकार का। राज्य सरकार ने भी अपना अंशदान इसके अंदर जोड़कर इन भवनों को वरीयता के आधार पर, सबसे पहले किराये के भवनों को लिया जाता है, उसके बाद में भवन विहीन जो अन्य सामुदायिक केन्द्रों में चल रहे हैं, उनको लिया जाता है। इस नियम के अनुसार इनके यहां पर जो क्रमश: किराये पर हैं या अन्य हैं, भवन शीघ्र बनाए जाएंगे।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): क्या कांग्रेस पार्टी ने 2018 के चुनाव घोषणा पत्र में संविदाकर्मियों के साथ-साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी नियमित करने का कहा था?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इर्रेलेवेंट, प्लीज।

अगला प्रश्न। श्रीमती अनिता भदेल।

अजमेर दक्षिण में गारंटी अवधि की सड़कें

606. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर दक्षिण में वर्ष 2021-22 के मध्य स्वीकृत मुख्य मंत्री बजट घोषणा की सड़कें गारंटी अवधि में ही घटिया निर्माण के कारण जर्जर हो गई हैं? यदि हां, तो उक्त के संबंध में सरकार को कितने शिकायती पत्र प्राप्त हुए? उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि शिकायती पत्रों में उक्त सड़कों की गुणवत्ता जांच हेतु थर्ड पार्टी से जांच कराये जाने हेतु लिखा गया था? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अवधि के मध्य बनाई गई मुख्य मंत्री बजट घोषणा की सड़कों के संवेदकों की अमानत राशि जब्त कर उक्त को ब्लैक लिस्ट करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): (1) जी नहीं। वर्तमान में माननीय मुख्य मंत्री बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के तहत 35 सड़कें विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के अन्तर्गत स्वीकृत हैं। उक्त में से 27 सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है, जो गारण्टी अवधि में हैं तथा संतोषजनक स्थिति में हैं। 5 सड़कों पर कार्य प्रगतिरत है। शेष 3 सड़कों की स्वीकृति निरस्त की जा चुकी है। उक्त प्रगतिरत सड़कों को दिनांक 30.09.2023 तक पूर्ण करवाया जाना संभावित है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं।

(3) मुख्य मंत्री बजट घोषणा की सड़कें मापदण्डानुसार एवं गुणवत्ता पूर्ण बनवाई जा रही हैं। गुणवत्ता में कमी पाई जाने पर ही संवेदकों के विरुद्ध अनुबंधानुसार कार्रवाई की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उस जवाब में 'जी नहीं' कहा है कि

(श्रीमती अनिता भदेल)

कोई शिकायत पत्र प्राप्त नहीं हुए जबकि मैंने स्वयं ने शिकायती पत्र दिए हैं जिन पर विभाग की रिसीट है और उन शिकायत पत्रों पर मेरे को जवाब भी मिला है, जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने मुख्य अभियंता को लिखा है कि हम थर्ड पार्टी से इसकी जांच करा रहे हैं। यदि आपको जरूरत है तो जो विभाग से मुझे पत्र मिले हैं, वह टेबल कर देती हूं। जो एडिश्नल चीफ इंजीनियर हैं, उन एडिश्नल चीफ इंजीनियर ने मुझे चिट्ठियां लिखी हैं, क्या वे गलत हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, बैठिए। आपने क्या लिखा है कि क्वालिटी जांच होनी चाहिए, ये प्रश्न है? उन्होंने क्या लिखा है, उत्तर नहीं है। क्या आपने शिकायत लिखी कि वह थर्ड पार्टी होना चाहिए? वह प्रश्न है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, शिकायत लिखी है मैंने। जो मैंने शिकायत लिखी, वह मैं टेबल कर देती हूं।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 'जी नहीं' इसलिए कहा है, क्योंकि माननीय सदस्या ने जो शिकायती पत्र लिखा है, उसमें थर्ड पार्टी कहीं पर भी अंकित नहीं है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): एक सैकण्ड, मैं आपको कापी दे देती हूं। ये कापी मैं टेबल कर देती हूं। तीन चिट्ठियां हैं मेरी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आप बैठिए एक मिनट। क्या आपके पत्र में आपने ये मेंशन किया है कि थर्ड पार्टी से जांच करवाई जाए? That is the issue, शिकायत करना अलग चीज है। वह जवाब दे रहे हैं कि थर्ड पार्टी का आपने नहीं लिखा, इसलिए 'नहीं' लिखा है। आपने कोई लिखा है क्या थर्ड पार्टी से जांच कराई जाए? उन्होंने जवाब लिखा है, वह तो अच्छे के लिए लिखा है। आपके पत्र में ये कंटेंट है क्या?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सर, मैं चिट्ठी पढ़कर सुना देती हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, आप सुना दीजिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 28 अप्रैल, 2022 को चिट्ठी लिखी है। उस 28 अप्रैल की चिट्ठी में मैंने लिखा है कि संवेदकों द्वारा निर्माण किया जा रहा है, उनको क्वालिटी कंट्रोल से जांच करवाया जाना अति-आवश्यक है, ताकि अच्छी गुणवत्ता की सड़कें लोगों के आवागमन हेतु

(श्रीमती अनिता भदेल)

उपलब्ध हो सकें। निम्न कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र, आप इनकी क्वालिटी की जांच कराएं और मुझे सूचना दें। इसमें लिखा है वार्ड नंबर 34, गढ़ी मालियान से मयूर चिल्ड वाटर तक।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, समझ में आ गया। क्वालिटी से जांच करवाना, थर्ड पार्टी से जांच करवाना, दो डिफरेंट चीज है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सर, ये तो मेरी पहली चिट्ठी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, समझ में आ गया। माननीय मंत्री जी, पत्र के संबंध में।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बिलकुल पत्र मिला है, लेकिन उसमें थर्ड पार्टी कहीं भी अंकित नहीं है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): एक सैकण्ड, प्लीज।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, प्लीज। अब हो गया। आपने थर्ड पार्टी नहीं लिखा है। गुणवत्ता के बारे में कुछ करना है, बोलिए आप।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सदस्या ने जो लिखा है, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि हमारे पास जो भी है, अभी भी हम लोगों ने उसकी पूरी जांच करवाई है। कोई भी, कहीं पर भी सड़क क्षतिग्रस्त नहीं है। मेरे पास फोटोग्राफ्स भी हैं इनकी पूरी विधान सभा क्षेत्र के। यदि इसके अलावा कोई और भी शिकायत इनकी है, जो अलग से है, वह मुझे लिखकर दे दें, मैं यहां से विजिलेंस टीम भेजकर जांच करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्या एक ये प्रश्न कह रही हैं कि उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। आप आपके अधिकारियों को इनके साथ मौके पर बिठाकर मौका मुआयना करवा दीजिए।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सड़क का कार्य प्रगतिरत है और इन्होंने कहा है कि गारंटी अवधि में, जब सड़क का काम ही पूर्ण नहीं हो पाया तो जांच किस चीज की कराएं? जब सड़क का काम पूर्ण हो जाएगा तभी तो उसमें गारंटी अवधि में सड़क का पता लगेगा कि वह क्षतिग्रस्त है या नहीं है। मुझे आप स्पेसिफिक बता दें कि उस सड़क की क्वालिटी में किस चीज की कमी है। आप मुझे ये बता दें कि उसमें कमी किस चीज की है? यदि उसने डब्ल्यूबीएम है, जीएसपी है या सीसी

(श्री भजनलाल जाटव)

है, मुझे बताएं कि उसकी थिकनैस में क्या कमी है, वह मुझे स्पेसिफिक बता दें, जिससे पता लग जाए कि उसकी कमी किस चीज की है।

श्री अध्यक्ष: प्रताप जी, आपको जवाब देना है क्या? सिंघवी साहब, मैं सदस्या को बोलूं कि आपसे जवाब ले लें?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, 2022 की सड़कों की जो सूची आपने उपलब्ध कराई है, मैं 2022 की सड़कों की बात कह रही हूं। उस सूची में आप देखिए क्रम संख्या 9 पर, बालूपुरा गांव, पानी की टंकी के पास ओम भडाना ट्रांसफार्मर होते हुए शकुन गार्डन तक, ये तो निरस्त हो गयी। इसके बाद में जो 10 नंबर पर है, वार्ड नंबर 31 सूर्य नगर, एचएमटी पावर हाउस के पास ब्यावर रोड पर सीसी सड़क, कार्य प्रगति पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कार्य प्रगति पर लिखा है, वहां कार्य पूर्ण हो चुका है। सीसी सड़क का काम पूर्ण हो चुका और आज की तारीख में यदि जाकर देखेंगे तो सीसी सड़क की सारी कंक्रीट उखड़ कर बाहर आ गयी ...(व्यवधान) सब कंक्रीट आ गयी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, बैठिए। आप प्लीज बैठिए।

जो 10 की संख्या पर माननीय सदस्या कह रही हैं, उस पर क्वालिटी की जांच एम एल ए के साथ जाकर करें। ये तो एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न जो सदस्या कहना चाहती हैं, जिन सड़कों पर आपने कार्य प्रगति पर लिखा है, इनके हिसाब से पूरी हो गयीं, उन सड़कों पर क्वालिटी की जांच माननीय सदस्या के साथ जाकर करने का काम करें।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश की पालना होगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गणेश घोघरा।

डूंगरपुर के विद्यालयों में वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति

607. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में विगत तीन वर्षों में पालनहार योजना, बीपीएल पुत्री विवाह, विकलांग, अन्तर्जातीय तथा विधवा विवाह योजना अन्तर्गत कितने आवेदकों ने आवेदन किये व उक्त में से कितनों को

(श्री गणेश घोघरा)

लाभान्वित किया तथा कितने वंचित हैं? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभिन्न योजनाओं में विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान शेष है? यदि हां, तो कितने छात्रों का? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में सरकार की पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सुखद दाम्पत्य जीवन योजना, डा. सविता बेन अंबेडकर अन्तर्जातीय विवाह योजना तथा विधवा पुनर्विवाह योजना अन्तर्गत विगत 03 वर्षों में प्राप्त आवेदनों, लाभान्वितों एवं वंचितों का विवरण निम्नानुसार है:-

पालनहार योजना

क्र. सं.	वर्ष	आवेदक पालनहार	आवेदित बच्चों की संख्या	लाभान्वित बच्चों की संख्या	वंचितों की संख्या
1	2022-23	295	513	513	0
2	2021-22	299	558	558	0
3	2020-21	655	1064	1064	0

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

क्र. सं.	वर्ष	आवेदन संख्या	लाभान्वितों की संख्या	लाभान्वित बच्चों की संख्या
1	2022-23	606	536	60 आक्षेपित 10 निरस्त
2	2021-22	493	451	40 आक्षेपित 02 निरस्त
3	2020-21	143	130	08 आक्षेपित 05 निरस्त

नोट- मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत 108 आवेदन आवेदक द्वारा 90 दिवस की समयावधि में आक्षेप पूर्ति नहीं कराये जाने के कारण पोर्टल द्वारा स्वतः निरस्त कर दिये गये थे। लाभार्थियों के निवेदन पर विभाग के आदेश क्रमांक 80187 दिनांक 20.03.2023 द्वारा रोलबैक कर आक्षेप पूर्ति हेतु शिथिलन दिया गया है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

सुखद दाम्पत्य योजना

क्र. सं.	वर्ष	आवेदन संख्या	लाभान्वितों की संख्या	लाभान्वित बच्चों की संख्या
1	2022-23	4	4	0
2	2021-22	2	2	0
3	2020-21	7	7	0

डा. सविता बेन अंबेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

क्र. सं.	वर्ष	आवेदन संख्या	लाभान्वितों की संख्या	लाभान्वित बच्चों की संख्या
1	2022-23	2	1	1 (समयावधि पार होने के कारण निरस्त)
2	2021-22	0	0	0
3	2020-21	0	0	0

विधवा पुनर्विवाह योजना

क्र. सं.	वर्ष	आवेदन संख्या	लाभान्वितों की संख्या	लाभान्वित बच्चों की संख्या
1	2022-23	-	-	-
2	2021-22	-	-	-
3	2020-21	-	-	-

(2) जी हां। कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज (प्रा.शि.) विभाग राजस्थान बीकानेर, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर से प्राप्त सूचना अनुसार विभिन्न योजनाओं में विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान से लम्बित प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-अ में संलग्न है।

(3) वर्तमान में केवल अस्वच्छकार श्रेणी में कक्षा 01 से 05 तक के विद्यार्थियों को प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दी जा रही है। अन्य से संबंधित कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे सरकार कह रही है कि एस सी/एस टी छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति दी जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उनको समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। क्या कारण है कि उनको समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है? ऐसे ही आरक्षण भी नहीं मिल रहा है और छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रही है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए, माननीय सदस्य।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सर, ये ही पूछ रहा हूं कि उनको छात्रवृत्ति कब तक दिला देंगे?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सही कह रहे हैं। जो एस टी की छात्रवृत्ति है, वह पिछले तीन वर्षों से भारत सरकार से नहीं आयी है। 75:25 का रेशियो है। भारत सरकार से जैसे ही आएगी, हम दे देंगे। इसी के साथ ओ बी सी की जो स्कालरशिप है, उसमें भी एक नोशनल शेयर के आधार पर राशि वहां से आ रही है। उसमें 60:40 का रेशियो हमारा रहता है। उसमें भी बच्चों की संख्या के आधार पर भारत सरकार राशि नहीं दे रही है, जिसकी वजह से ओ बी सी की स्कालरशिप भी रुकी हुई है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

नाथद्वारा मंदिर मंडल व सांवलिया जी मंदिर की ट्रस्ट राशि से विकास कार्य

608. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मंदिर मंडल, नाथद्वारा व सांवलिया जी मंदिर द्वारा विगत तीन वर्षों में कितनी धनराशि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल संसाधन पर व्यय की गई?

(2) प्रदेश में हिन्दू धर्म के मंदिरों के अतिरिक्त अन्य धर्मों के कितने पूजा स्थल एवं धार्मिक स्थल सरकार के नियंत्रण में हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

देवस्थान मंत्री (श्रीमती शकुन्तला रावत): (1) मंदिर मण्डल, नाथद्वारा एवं सांवलिया जी मंदिर द्वारा विगत तीन वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल संसाधन आदि के सृजन हेतु किये गये व्यय की सूचना क्रमश: परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(देवस्थान मंत्री)

(2) (i) देवस्थान विभाग के अधीन हिन्दू धर्म के पूजा स्थलों के अलावा अन्य धर्मों के पूजा स्थल नियंत्रण में नहीं हैं।

(ii) प्रदेश में 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय का कोई पूजा स्थल एवं धार्मिक स्थल अल्पसंख्यक मामलात विभाग के नियंत्रण में नहीं है। 18 मुस्लिम पूजा स्थल एवं धार्मिक स्थल राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ के नियंत्रण में हैं। सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(सूचना एवं सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगी कि पिछले तीन वर्षों में नाथद्वारा मंदिर में और सांवलिया जी मंदिर में आय कितनी हुई और कितना पैसा दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए खर्च हुआ?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, रिलेवेंट प्रश्न पूछिए। अलग प्रश्न हो जाएगा।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आय तो पूछना पड़ेगा तभी तो पता पड़ेगा व्यय उस हिसाब से हुआ।

श्री अध्यक्ष: आप आय पर पूछते।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं जानना चाहूंगी कि परिशिष्ट-2 के अंदर आपने ये लिखा है कि राजकीय चिकित्सालय, नाथद्वारा में निःशुल्क डायलिसिस हेतु अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक 9 लाख रुपये खर्च हुआ और ऐसे आपने मुझे तीन वर्ष का दिया है कि डायलिसिस पर खर्च हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी प्राप्त करना चाहूंगी कि राज्य सरकार में डायलिसिस जब आलरेडी फ्री है तो ये 10 लाख, 6 लाख, 5 लाख डायलिसिस में हम क्यों यूज करना चाह रहे हैं? ये मैं आपसे जानना चाहूंगी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने फ्री कर रखा है। फिर भी कोई टेम्पल एक्ट बने हुए हैं नाथद्वारा मन्दिर हो, चाहे सेठ सांवलिया जी हो, अपनी तरफ उन्हें अगर किसी हास्पिटल में स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई भी काम करना हो तो वह कर सकते हैं, क्योंकि वह स्वतंत्र है। नाथद्वारा टेम्पल एक्ट और सेठ सांवलिया टेम्पल एक्ट, किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। डायलिसिस वाला मैटर है, कोई उनके संज्ञान में आता है तो सीईओ की तरफ से तथा मन्दिर ट्रस्ट की तरफ से भी करने में यह स्वतंत्र है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, मैं दे देता हूं जवाब। मैं खुद ही इसमें इन्वाल्व हूं। क्या आप नहीं चाहते कि उन आदमियों को इमिजिएट रिलीफ मिले? इसीलिए मैंने फैसला करवाया है कि नाथद्वारा में डायलिसिस के लिए सरकार से नहीं, प्राइवेट आदमी से डायलिसिस की यूनिट लगाई। उन लोगों को सुविधा देने के लिए, उनका पैसा नहीं लगे इसलिए रिएम्बर्समेंट करेंगे।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इसमें डी एम एफ टी...

श्री अध्यक्ष: डी एम एफ टी पर नहीं है, this is from Temple Board. Please have correct information first then ask the question.

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): Sir, I am having an information and that's why I am putting it.

श्री अध्यक्ष: आपको पता है वह डायलिसिस सरकार से लगे हैं कि प्राइवेट से लगे हैं? Do you know it?

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, डाक्टर्स की कमी सब जगह है। आप स्वयं इसमें इन्वाल्व हैं।

श्री अध्यक्ष: Donor has given it.

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं तो आपसे यह निवेदन करूंगी कि सिर्फ नाथद्वारा में ही नहीं, आप उसको राजसमन्द के जिला चिकित्सालय पर भी लाएंगे तो...

श्री अध्यक्ष: रिलेवेन्ट प्रश्न पूछिए। Please be relevant.

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप डायलिसिस के लिए मुझे बोल रहे हैं इसलिए मैं उसी बात के लिए बोल रही हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं आपसे फिर कह रहा हूं, please check it first. यह सरकार का डायलिसिस नहीं है, डोनर से मोटिवेट करके मैंने डायलिसिस लगवाए हैं, जिससे वहां लोगों को सुविधा हो सके। लोग उदयपुर जाकर वेटिंग लिस्ट में बैठे रहते हैं, डायलिसिस नहीं होता, उनको रिलीफ देने के लिए काम किया है।

अगला प्रश्न। राजकुमार रोत।

उदयपुर में राणा पुंजा भील छात्रावास

609. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री राजकुमार रोत)

(1) क्या यह सही है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कैम्पस के आस-पास बने राणा पुंजा भील छात्रावास का निर्माण टी ए डी के मद से किया गया है? यदि हां, तो कब? उक्त छात्रावास में किन छात्रों के प्रवेश का प्रावधान रखा गया था? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रावास विभाग से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित किया गया है? यदि हां, तो कब व क्यों तथा किन प्रावधानों के तहत? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त छात्रावास को पुनः विभाग के अधीन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री परसादी लाल: (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास के स्थान पर) (1) जी हां। उदयपुर ज़िले के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कैम्पस के आस-पास बने राणा पुंजा भील छात्रावास का निर्माण टी ए डी के मद में प्राप्त राशि रु. 188.00 लाख से वर्ष 2013 में किया गया।

वर्तमान में उक्त छात्रावास में प्रवेश तथा संचालन जनजाति के छात्रों के लिए विभाग द्वारा नहीं किया जाकर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा ही किया जा रहा है।

(2) छात्रावास का निर्माण जनजाति छात्रों हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से उपलब्ध कराई गई राशि रु. 188.00 लाख से कार्यकारी एजेन्सी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा ही विश्वविद्यालय परिसर में उनकी भूमि पर ही करवाया गया है। कार्य पूर्ण होने के उपरांत उक्त भवन संचालन एवं संधारण विश्वविद्यालय के अधीन है। उक्त क्रम में जारी निर्देश पत्र दिनांक 25.04.2013 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) उक्त छात्रावास को पुन: जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत रखने का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): टी ए डी विभाग से 01 करोड़ 88 लाख का मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कैम्पस के अन्दर जो छात्रावास बना हुआ है, उस छात्रावास को लेकर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के

(श्री राजकुमार रोत)
अतिरिक्त आयुक्त ने एक पत्र, मुझे जो मंत्री जी ने उपलब्ध कराया है, इसमें लिखा हुआ है कि यहां जनजाति छात्र को ही इस छात्रावास में प्रवेश दिया जाएगा तो वर्तमान समय में इस छात्रावास में कितने जनजाति छात्रों को प्रवेश दिया गया है? मंत्री जी संख्या उपलब्ध करवाएं।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यहां जिस छात्रावास का जिक्र किया है, उसका 2010 में महाराष्ट्र पैटर्न पर सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में छात्रावास का जनजाति विभाग की राशि से निर्माण करवाया गया। मैं जानकारी दूं, केवल एस.टी. ट्राइबल के लड़के ही जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको इसमें प्रवेश दिया जाता है। उनकी सहमति से सारा संचालन भी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी कर रही है। इसमें किसी को क्या एतराज है? ट्राइबल के ही छात्र हैं, ट्राइबल का ही छात्रावास है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी इसका संचालन कर रही है।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): टी ए डी मद से पैसा दिया गया है और इसमें जनजाति आयुक्त जी ने लैटर लिखा है कि इस छात्रावास के अन्दर ट्राइबल बच्चों को ही प्रवेश दिया जाएगा। वर्तमान में इस छात्रावास में कितने ट्राइबल बच्चों का प्रवेश है? वह जानकारी चाहूंगा।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 100 छात्रों की कैपेसिटी का यह छात्रावास है और 100 छात्र ट्राइबल के ही हैं। जब इसका हुआ था, तब भी यह समझौता पत्र था, टी ए डी कमिश्नर ने लिखा था कि इसका संचालन मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी करेगी। पर्याप्त एस.टी. के छात्र ही इसमें आते हैं।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सर, वर्तमान में 92 छात्रों का प्रवेश है। इनमें से 20 छात्र एस.टी. के हैं और उन छात्रों से 20 हजार रुपये फीस ली जा रही है। यह छात्रावास ठेके के तौर पर, प्राइवेट लोगों के द्वारा दादागीरी से वहां चलाया जा रहा है। ट्राइबल के पैसे से ट्राइबल छात्रों के लिए छात्रावास बनाया गया है और वर्तमान में ओनली 20 ट्राइबल छात्रों का ही वहां प्रवेश है। उनसे भी 20 से 25 हजार सालाना फीस ली जा रही है। ठेके पर दिया जा रहा है। टी ए डी विभाग एक कमेटी बनाकर, गम्भीर होकर इसकी जांच करे। जो प्रावधान था, 2013 में जो आदेश आया है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सर, मेरा एक ही प्रश्न है कि वर्तमान में

(श्री राजकुमार रोत)

20 छात्र ही हैं। यह जो आदेश है इसकी अवहेलना की जा रही है। ठेके पर दिया जा रहा है। टी ए डी विभाग एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करके, इस आदेश के अनुरूप ट्राइबल छात्रों को ही प्रवेश देने का प्रावधान रखती है या नहीं?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस छात्रावास का निर्माण करवाया गया था तब यह शर्त थी, टी ए डी कमिश्नर का लैटर है, इसका संचालन मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ही करेगी और इसमें सारे छात्र एस.टी. के होंगे। जब यूनिवर्सिटी में छात्र अवेलेबल नहीं हों तो अदर छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 42 एस.टी. के छात्र हैं, 48 अदर हैं। अगर एस.टी. के पर्याप्त छात्र मिलेंगे तो एस.टी. को ही प्रायोरिटी है। छात्र नहीं मिलेंगे तो दूसरे छात्रों से उस जगह को भर दिया जाता है। एस.टी. के अवेलेबल होंगे तो सारे 100 छात्र ही एस.टी. के होंगे।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, इस पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि छात्रावास में सिर्फ जनजाति छात्र को ही प्रवेश दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्लीज बैठें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): वहां ठेके पर दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: यदि वह होस्टल टी ए डी के फण्ड से बना है, टी ए डी के छात्र उपलब्ध नहीं हैं तो नॉन टी ए डी को दिया जाना चाहिए या नहीं? आपका प्रश्न ...

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): इस बात को एक्सेप्ट है, लेकिन वह ठेके पर चलाया जा रहा है, 20-25 हजार रुपये फीस ली जा रही है। क्या वह प्रावधान था? उन बच्चों से 20-25 हजार फीस वर्तमान में किस आधार पर ली जा रही है?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सही है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी को इसका संचालन करना है। टी ए डी से कोई पैसा छात्रों को या अदर को नहीं दिया जाता, कोई बजट नहीं दिया जाता है, तो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी संचालन करेगी तो वह फीस भी लेगी। केवल छात्रावास का निर्माण ही टी ए डी के मद से कराया। संचालन मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ही करेगी। वह फीस लेगी, कैसे करेगी, यह उसका संचालन का काम है। टी ए डी से आगे उसको कोई बजट दिया ही नहीं जा रहा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जगदीश चन्द्र।

आबकारी की स्वीकृत दुकानों के साथ ब्रांच खोलने पर कार्यवाही

610. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या विभाग से स्वीकृत दुकान के साथ ब्रांच खोलने का भी कोई प्रावधान है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो किस नियम के तहत स्वीकृत दुकानों के अतिरिक्त उक्त की अन्य जगह ब्रांच खोली गयी है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार ब्रांच के नाम पर खोली गई दुकानों पर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

आबकारी मंत्री (श्री परसादी लाल) (1) जी नहीं। विभाग से स्वीकृत मदिरा दुकानों के अतिरिक्त इनकी अन्य जगह ब्रांच संचालित नहीं है।

(2) स्वीकृत दुकान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से शराब की अवैध बिक्री पाये जाने पर राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किये जाकर कार्यवाही की जाती है।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं, यह तीसरी बार क्वेश्चन आया है और मंत्री जी का सैट जवाब है। मैं मंत्री जी की जानकारी में लाना चाह रहा हूं, आपने कहा कि अधिकृत दुकान के अलावा कोई दुकान नहीं है। गदर खेडा, मोरजनखारी, सुन्दरपुरा, दुरनापुरी, सोनेवाला चक, आप बता सकते हैं ये दुकानें किस आधार पर खुली हैं? क्या सरकार के पास इनका रिकार्ड है, अथोराइज्ड दुकान है, बता सकते हैं? मैंने व्यक्तिगत तौर पर आपको कागज दिया था और अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आपने कहा कि कोई अवैध दुकान है तो कार्यवाही करेंगे। कृपया आप बताएं।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 2022-23 की दुकानों के सम्बन्ध में पत्र लिखा था, उसकी जांच कराकर आपको सूचना भिजवा दी गई है। आपने गदर खेडा के लिए, गदर खेडा इल्लिगल दुकान थी, वहां उसकी गिरफ्तारी करके दुकान को बंद करवा दिया है। आपने पतली के लिए लिखा, वहां कोई अवैध शराब की दुकान नहीं मिली। आपने तख्त हजारा के लिए कहा, वहां कोई अवैध दुकान संचालित नहीं है। खरडवाला, कोई अवैध दुकान संचालित नहीं है। वहां कुल 37 दुकान हैं, 11

(श्री परसादी लाल)

गोदाम हैं। हमने आपको पहले ही पत्र का जवाब और आपकी पूरी शिकायत की जांच करके भिजवा दिया है। अगर कोई दुकान अवैध है, आप जब भी कहेंगे, हमने डी ई ओ को अधिकृत कर, आप डी ई ओ को जब भी कहेंगे, अवैध दुकान को तुरन्त बन्द करने की कार्यवाही करेगा।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): अध्यक्ष जी, मंत्री जी कह रहे हैं तख्त हजारा में कोई दुकान नहीं संचालित है। सोनेवाला चक में गोदाम के नाम से ब्रांच चल रही है और रात को तीन बजे तक खुली रहती है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर चिट्ठी लिखी, लेकिन अभी तक, I have not received any answer from the department. मंत्री जी बतायें, इस बारे में कोई कार्यवाही करेंगे या नहीं?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य, आपको जो भी सूचना भिजवाई, आपने दुबारा नहीं कहा कि दुकान बन्द नहीं हुई। हमने तुरन्त उसकी गिरफ्तारी की है। अवैध दुकान की जहां भी कोई सूचना दे, आप हमारे डी ई ओ को बतायें, डी ई ओ आपकी शिकायत पर कार्यवाही अगर नहीं करता, हम डी ई ओ के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

प्रश्न संख्या 611

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। सुमित गोदारा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। मंजीत धर्मपाल।

मुण्डावर में पेयजल आपूर्ति

612. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर डार्क जोन में आता है? यदि हां, तो सरकार उक्त के निराकरण हेतु क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के बड़े कस्बों में गर्मियों के समय में तीन दिन में एक बार पेयजल आपूर्ति होती है? यदि हां, तो क्यों? सरकार उक्त के निराकरण हेतु क्या उपाय कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र नवीनतम भू-जल आंकलन रिपोर्ट-2022 के अनुसार

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

अतिदोहित श्रेणी (डार्क जोन) में आता है। राज्य सरकार गिरते भू-जल की रोकथाम हेतु निरंतर प्रयासरत है। राज्य में वर्षा जल संग्रहण हेतु नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक प.11(9) नविवि/3/2020/पार्ट-I दिनांक 07 सितम्बर, 2021 के द्वारा शहरी क्षेत्र में स्थित 225 वर्ग मीटर अथवा ज्यादा क्षेत्रफल के भूखंडों पर निर्मित/नये बनने वाले समस्त भवनों में छत द्वारा वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली का बनाया जाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही 2,500 वर्गमीटर तथा उससे बड़े भूखंडों में स्नानागार तथा रसोई के अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण एवं पुनःचक्रण की व्यवस्था किये जाने का प्रावधान किया गया है तथा टॉयलेट में उपयोग में ली जाने वाली वाटर क्लोसेट में ड्यूअल फ्लश बटन वाले सिस्टर्न ही अनुमत किया जाना आवश्यक है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

प्रदेश में जल संरक्षण हेतु राज्य जल नीति माह फरवरी, 2010 में लागू कर दी गई है तथा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में छत के वर्षा जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना राजस्थान जल नीति 2010 में शामिल किया गया है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा भू-जल संरक्षण हेतु चलाई जा रही योजनाओं (जल शक्ति अभियान, राजीव गांधी जल संचय योजना) में तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाने एवं योजनाओं के तहत किये गये कार्यों के प्रभावों का आंकलन भू-जल विभाग द्वारा किया जा रहा है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में बड़े कस्बे/ग्राम मुण्डावर, शाहजहांपुर एवं नीमराणा हैं। इनमें से ग्रीष्मकाल में मुण्डावर एवं नीमराणा में 2 दिवस में एक बार तथा शाहजहांपुर में प्रतिदिन जलापूर्ति की जाती है। उक्त बडे कस्बों/ ग्रामों में वर्तमान पेयजल वितरण व्यवस्था का विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम मुण्डावर की वर्ष 2011 की जनगणनानुसार आबादी 6,419 एवं वर्तमान आबादी 7,960 व्यक्ति है। वर्तमान में ग्राम मुण्डावर में 38 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 48 घण्टे के अन्तराल पर पेयजल वितरण किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्राम मुण्डावर सहित 6 ग्रामों को क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना मुण्डावर से लाभान्वित करने हेतु राशि रुपये 1,206.00 लाख की योजना की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की 30वीं बैठक दिनांक 29.11.2021 के द्वारा जारी की जा चुकी है। वर्तमान में योजना के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु निविदा

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

प्रक्रियाधीन है। स्वीकृत योजना के कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् ग्राम मुंडावर को निर्धारित 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम नीमराणा की वर्ष 2011 की जनगणनानुसार आबादी 7,143 एवं वर्तमान आबादी 8,785 व्यक्ति है। वर्तमान में ग्राम नीमराणा में 42 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 48 घण्टे के अन्तराल पर पेयजल वितरण किया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गयी बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की अनुपालना में ग्राम पंचायत नीमराणा, ग्राम पंचायत दौलतसिंहपुरा एवं ग्राम पंचायत प्रतापसिंहपुरा को सम्मिलित कर नीमराणा नगरपालिका का गठन स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना दिनाक 20.05.2022 द्वारा किया गया है। अतः नवसृजित नीमराणा शहर की पेयजल प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन के लिए अमृत 2.0 योजना के अन्तर्गत राशि रुपये 14.00 करोड़ के योजना प्रस्ताव का राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एस.एच.पी.एस.सी.) की अभिशंसा पर आवासन एवं शहरी कार्यालय मंत्रालय, भारत सरकार की अमृत योजना की एपेक्स कमेटी की बैठक दिनांक 04.01.2023 में अनुमोदन उपरांत रुडसिको के पत्रांक 1078 दिनांक 06.02.2023 द्वारा योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। वर्तमान में योजना के तकनीकी प्रस्ताव बनाने का कार्य प्रगति पर है। स्वीकृत योजना के कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् नीमराणा शहर को निर्धारित 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम शाहजहांपुर की वर्ष 2011 की जनगणनानुसार आबादी 9,837 एवं वर्तमान आबादी 12,099 व्यक्ति है। वर्तमान में ग्राम शाहजहांपुर में 43 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 24 घण्टे के अन्तराल पर पेयजल वितरण किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्राम शाहजहांपुर को लाभान्वित करने हेतु राशि रुपये 487.30 लाख की योजना की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की 32वीं बैठक दिनांक 25.02.2022 के द्वारा जारी की जा चुकी है। वर्तमान में योजना के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। स्वीकृत योजना के कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् ग्राम शाहजहांपुर को निर्धारित 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्राम मुण्डावर, गढ़ी सिया को गांधीनगर, नांगल राणिया व परहरबास, छह गांव की योजना क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत 12 करोड़ 06 लाख की योजना स्वीकृत हुई थी, जिसकी 29.11.2021 को स्वीकृति मिली, परन्तु यह योजना आज भी निविदा के लिए प्रक्रियाधीन है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 20-22 महीने बीत जाने के बाद भी यह योजना धरातल पर नहीं आई। योजना धरातल पर कब आएगी और लोगों को कब लाभ मिलेगा?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये जो योजनाएं देरी से होती हैं, उनके कई कारण हैं। कई बार इसमें निविदा नहीं आती, जैसा कि मैंने पहले पिछले प्रश्न में भी कहा है कि बी.एस.आर. की प्रोब्लम थी, टेंडर प्रीमियम की प्रोब्लम थी। पहले एक बी.एस.आर. की प्रोब्लम को हमने सॉल्व किया तो फिर टी.पी. की प्रोब्लम आ गयी, टेंडर प्रीमियम क्योंकि, यूक्रेन युद्ध के कारण से अचानक आयरन के दाम बहुत बढ़ गये। हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया से रिक्वेस्ट की कि टेंडर प्रीमियम अलाउ करें, पहले उन्होंने टेंडर प्रीमियम अलाउ नहीं की। रेट्स इतनी विसंगतिपूर्ण लगीं कि उनका हमें टेंडर कैंसिल करना पड़ा। फिर जब गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमें टेंडर प्रीमियम अलाउ किया तो उसके बावजूद भी वे रेट्स थोड़ी ज्यादा हैं, क्योंकि अब हमने इसको एफ.डी. को भेजा है कि इसको हम मानें या नहीं मानें? एफ.डी. से जैसे निर्देश आएंगे, हम उसके अकोर्डिंग कार्यवाही करेंगे। एक कारण तो यह है।

एक कारण यह है कि हमारे जल जीवन मिशन में जो अनवरत सस्टेनेबिलिटी, उसको वे 15 साल का कैलकुलेट करते हैं उन पैरामीटर्स में। हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम यह कह सकें कि हमारा नलकूप 15 साल काम करेगा, 10 साल काम करेगा, तो हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया से रिक्वेस्ट की है नये सिरे से कि यह 15 साल की बजाय जब तक, यह अलवर का विशेष तौर से कह रहा हूं कि वहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, तो यह 15 साल की बजाय हमने यह कहा है कि हमारा ट्यूबवैल जब तक सस्टेन करेगा, तब तक के लिए तो हम ट्यूबवैल से करेंगे और in the meanwhile हम सरफेस वाटर पर इसको ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां से जवाब आते ही हम इस योजना को मंजूर करेंगे।

(डा. महेश जोशी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है SLSSC ने, जो कि हमारी स्कीम सैंक्शन कमेटी है, जिसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया का पूरा उसके अन्दर दखल रहता है, तो उन्होंने चम्बल-अलवर पेयजल परियोजना से अलवर, भरतपुर तथा धौलपुर जिले के 1,237 गांवों को, विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों सहित चम्बल नदी से लाभान्वित करने हेतु राशि 5,783.02 करोड़ रुपये की परियोजना की स्वीकृति एवं राज्य स्तरीय योजना की स्वीकृतियों में SLSSC की 37वीं बैठक दिनांक 30.05.2023 द्वारा जारी की जा चुकी है। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्र में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से हर घर को घरेलू जल उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

मैं माननीय सदस्य, आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी तरफ से हर सम्भव प्रयास रहेगा कि इस योजना में कोई विलम्ब नहीं हो।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सीधा-सा सवाल है और माननीय मंत्री भी यह मानते हैं कि अलवर जिला पानी के लिए तरस रहा है। मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि पीने के लिए पानी की आपूर्ति कब तक मिल जायेगी? खेती के लिए तो दूर की बात है, सिर्फ पीने के लिए पानी की आपूर्ति कब तक मिल जायेगी? उसका समाधान कब तक हो जायेगा?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि हम योजनाएं बना रहे हैं और उनको लागू कर रहे हैं और अभी हम इधर-उधर के सोर्स से आपके 6 गांवों की योजना है, उसको इधर-उधर से पानी लाकर हम लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं, तो मैंने अलवर को लेकर 16.03.2023 को ही सारे अधिकारियों की एक बैठक की थी और हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अलवर को पीने के पानी के लिए हम कोई अलग से व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती कल्पना देवी।

मण्डाना के राजकीय जनजाति कन्या आश्रम छात्रावास में डी.एम.एफ.टी. के तहत स्वीकृत कार्य

613. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा में डी.एम.एफ.टी. गवर्निंग

(श्रीमती कल्पना देवी)

काउंसिल की आयोजित बैठक में राजकीय जनजाति कन्या आश्रम छात्रावास, मण्डाना में विभिन्न कार्य करवाने हेतु राशि 20 लाख रुपये अनुमोदित किये गये थे? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग में संचालित खनन कार्यों से डी एम एफ टी फण्ड प्राप्त होता है व उसी क्षेत्र के विकास कार्यों में व्यय किया जाता है? यदि हां, तो उक्त बैठक में कितनी राशि के कितने कार्य अन्य क्षेत्रों व जिलों हेतु अनुमोदित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री) (खान मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। कोटा जिले की डी.एम.एफ.टी. की गवर्निंग काउंसिल की बैठक दिनांक 16.05.2022 में राजकीय जनजाति कन्या आश्रम छात्रावास, मण्डाना में विभिन्न कार्यों हेतु राशि रुपये 20 लाख अनुमोदित किये गये। कार्यकारी संस्था विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लाडपुरा, कोटा के अनुसार दिनांक 17.11.2022 को उक्त कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई, परन्तु किसी भी संवेदक द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की गई। ट्रस्ट फण्ड में जमा राशि की स्वीकृति एवं भुगतान के संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 23.05.2022 के क्रम में अनुमति हेतु जिला कलक्टर, कोटा द्वारा पत्र दिनांक 21.06.2023 से वित्त विभाग को लिखा गया है। अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् उक्त कार्य हेतु पुन: निविदा आमंत्रित की जायेगी।

(2) जी हां। प्रदेश में स्वीकृत खनिज रियायतों से निर्गमित खनिजों की रायल्टी का एक निश्चित प्रतिशत अंशदान के रूप में संबंधित जिले के डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट में जमा होता है। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के प्रावधानों व भारत सरकार के निर्देश दिनांक 12.07.2021 के अनुसार ट्रस्ट फण्ड में उपलब्ध राशि का उपयोग जिले में खनन से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के हित व लाभ के लिए किया जाता है। उक्त बैठक में कोटा जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों हेतु कोई भी कार्य अनुमोदित नहीं किया गया है। कोटा जिले के अन्य क्षेत्रों हेतु राशि रुपये 5,685.63 लाख के 100 कार्य अनुमोदित किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूं, मुझे उत्तर में जो बताया गया है कि गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग 16.05.2022 को हुई थी। 17.11.2022 को उक्त कार्य हेतु टेंडर आमंत्रित किये गये, परन्तु 13 महीने के पश्चात् भी कलेक्टर यह लैटर लिख रहा है वित्त विभाग को स्वीकृति के लिए, तो मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहती हूं कि स्वीकृति नहीं देने का क्या कारण है और वित्त विभाग से यह स्वीकृति कब तक मिलेगी और कार्य कब तक पूर्ण करेंगे? फिर मैं दूसरा नेक्स्ट प्रश्न करूंगी।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्या ने बताया कि इनकी 16.05.2022 को बैठक थी, उसमें स्वीकृति निकल चुकी थी। विकास अधिकारी ने टेंडर भी लगा दिया पर निविदा में किसी भी आदमी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इस वजह से वह स्वीकृति यूं की यूं ही पड़ी रह गयी। नियम यह कर रखा है कि जैसे 60:40 का जो रेशियो बैठता है उच्चतम प्रस्ताव और न्यूनतम कार्य, जो 40 परसेंट किये जाते हैं तो माननीय सदस्य ने दिया है, वित्त विभाग यह मानता है फिर भी माननीय सदस्या ने जो भेजा है तो उसकी वित्तीय स्वीकृति निकल चुकी है और आप जब तक कोटा जाएंगे, तब तक आपको यह चिट्ठी भी मिल जायेगी। निविदा में आप किसी आदमी को आमंत्रित करें, ताकि वह उसमें भाग लें।

इसके साथ ही, दो हुई थीं इनके विधान सभा क्षेत्र में, एक की तो निविदा होकर चालू हो गयी, इसके साथ ही टेंडर हुआ था। दूसरी यह मण्डाना वाली थी, इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करने की वजह से यह दिक्कत आयी है, फिर भी हमने उसका हल कर दिया है। वित्तीय स्वीकृति का कोई अभाव नहीं था, रिकार्ड में नहीं थी, वह हमने पहुंचा दी है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्षजी, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है क्योंकि डी.एम.एफ.टी. के कोटा जिले में लगभग 56 करोड़ 85 लाख 63 हजार रुपये पड़े हैं। अभी जो इन्होंने मेरे को कार्यों की लिस्ट दी है, उसमें जो 98 कार्य दिये हैं कोटा जिले के, उनमें से केवल सात लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र के हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहती हूं कि इन सात कार्यों में से क्या एक भी कार्य की एफ.एस. जारी हुई है? यदि हां, तो कब तक ये काम पूर्ण होंगे?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि पैसा पड़ा हुआ है। मीटिंग से पहले इनके जो छह प्रस्ताव आये, छहों की वित्तीय स्वीकृति निकाल चुके हैं। इनका अंशदान ही जो लाडपुरा का लगभग 2.60 करोड़ रुपये का होता है, यह 3.5 परसेंट होता है, उसमें से हमने लाडपुरा की लगभग 2.66 करोड़ कुल जमा हुई जिसमें हम इनके छहों काम की स्वीकृति निकाल चुके हैं। अब बाद में इन्होंने 47 काम और दिये, तो अब इनकी अगली मीटिंग में इन्हीं को तय करना है और इन्हीं को पास करना है। हमारी तरफ से 16.05.2022 की पेंडेंसी कुछ भी नहीं है। उसके बाद के प्रस्ताव इनके पैंडिंग है। यह मीटिंग 3 महीने में एक बार जिला कलेक्टर को लेनी होती है, तो ये जाएं और मीटिंग लें और उसमें स्वीकृति करवायें और कोई दिक्कत आये तो हमें बतायें। इस काम में वित्तीय स्वीकृति हमने जारी कर दी है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरीश चन्द्र मीना।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि मीटिंग में जाएं तब यह काम स्वीकृत होंगे, तो मैंने यह सात कार्य जो इन्होंने किये हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, एक बार आप बैठें। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हो, उसमें यह प्रस्ताव पास होंगे। मंत्रीजी, गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग को जल्दी करवाने का निर्णय करें, जिससे माननीय सदस्या अपनी बात कह सकें।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मीटिंग होगी तब हम जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, यही तो मैंने बोला है।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): मीटिंग ही नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: यही तो बोला है कि गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के लिए डायरेक्शन दें। बोल दिया।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): वे डायरेक्शन दे देंगे, आपके आदेश की पालना हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरीश चन्द्र मीना।

देवली-उनियारा में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी

614. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के कितने

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तकनीकी कारणों से उक्त विधान सभा क्षेत्र के कई परिवार पात्र होते हुए भी उक्त योजना से वंचित हैं? यदि हां, तो कितने परिवार? उक्त के वंचित रहने के क्या कारण रहे? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजना से वंचित रहे लोगों को पात्र घोषित कर उक्त योजना का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत विगत 4 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के 16,068 परिवारों को योजना का लाभ दिया जा चुका है, जिनका ग्राम पंचायत व व्यक्तिवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

पंचायत समिति का नाम	**वर्ष 2018-19**	**वर्ष 2019-20**	**वर्ष 2020-21**	**वर्ष 2021-22**	**योग**
देवली	1978	2737	998	3313	9026
उनियारा	1372	1945	697	3028	7042
योग	**3350**	**4682**	**1695**	**6341**	**16068**

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत आवास सॉफ्ट पर अपलोड किये परिवारों में से ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार स्तर से आवास सॉफ्ट पर ऑनलाइन रिजेक्टेड बाई सिस्टम द्वारा 6,560 परिवारों के नाम हटा दिये गये। उक्त हटाये गये परिवारों का जिला स्तर से पुन: सत्यापन करने पर 5,423 परिवार पात्र पाये गये, जिनके कारणों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवास प्लस पर अपलोड होने से शेष रहे पात्र परिवारों को आवास प्लस पर अपलोड कराने हेतु राज्य सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, यह मेरा प्रश्न है जो मैं लगातार पिछले तीन सालों से लगा रहा हूं, पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

आवास योजना में लाभान्वित करने का। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 5,423 परिवार सरकारी आंकड़े के मुताबिक जो मुझे जवाब दिया गया है, पिछले तीन साल से पात्र हैं और इनमें से एक को भी प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया गया है। जवाब में लिखा है कि भारत सरकार से उस सॉफ्टवेयर को ठीक किया जायेगा, तब इनको दिया जायेगा, तो मैं क्या यह मानूं मंत्रीजी के जवाब से कि जब तक भारत सरकार कुछ नहीं करेगी तो राजस्थान सरकार भी पात्र व्यक्तियों को आवास नहीं देगी?

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं दे सकती।

श्री अध्यक्ष: नहीं दे सकती।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): तो फिर, सर, अगर विकास का यही मतलब है अभी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने प्रधानमंत्री आवास का पूछा तो प्रधानमंत्री आवास में जब पैसा आयेगा तब ही होगा। (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, पैसे का मामला नहीं है। पैसा तो इसमें है ही नहीं। इनके सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर भी ठीक करवाने क्या भारत सरकार ही आयेगी और राजस्थान सरकार कुछ नहीं करेगी? मेरा सवाल इतना-सा है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं यह कहना चाहता हूं कि अपलोड के लिए हमने शुरू से ही प्रयास किये हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी पत्र लिखा है, मैं खुद जाकर वहां पर मंत्रीजी से मिला हूं 12 जनवरी, 2022 को। हमने काफी प्रयास किये हैं इसके दुरुस्तीकरण के, अपलोड होने वाले सिस्टम के राज्य सरकार को अधिकार दिये जाएं, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए मना कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा, खण्ड-2 में आपने यह कहा कि भारत सरकार स्तर से आवास सॉफ्ट पर ऑनलाइन रिजेक्टेड बाई सिस्टम द्वारा 6,560 परिवारों के नाम हटा दिये, तो यह ऑनलाइन रिजेक्टेड सिस्टम क्यों किया गया? क्या कारण थे कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

भारत सरकार के आवास सॉफ्ट ऑनलाइन पर जिसमें इन्हें रिजेक्टेड किया गया, उनके क्या-क्या कारण रहे और उन कारणों को दूर करने के लिए क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है?

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता को मैं यह बताना चाहता हूं और उनको यह जानकारी भी है कि ग्राम सभाओं के माध्यम से करीब 23 लाख पूरे राजस्थान में नाम आये थे। 7 लाख अपलोड होने से वंचित रह गये। उसके बाद 15 लाख शेष बचे थे तो रिजेक्टेड बाई सिस्टम जिसमें 21 पैरामीटर्स हैं, वे फोलो नहीं किये। जैसे ही उसमें वह डालते हैं, वह बाहर कर देता है, तो यह रिजेक्टेड बाई सिस्टम की वजह से नहीं हो पाये। मैं तो आपको यह कहना चाहता हूं कि आप भारत सरकार में बात करें और यह अपलोड होने से वंचित हैं 01 लाख 55 हजार, जो उन्होंने माना है भारत सरकार ने पूरे राज्य के, उनको आप अपलोड करवायें और प्रधान मंत्रीजी से यह कहें कि राज्य सरकार को यह अधिकार दें। कोई नाम कट जाता है तो नाम तो कट जाता है, लेकिन जुड़ नहीं पाता। किसी रंजिशवश मान लें, भूलवश मान लें, किसी का नाम काट दिया, लेकिन वह जुड़ नहीं पाता और पात्र व्यक्ति गरीब रह जाता है। 2022-23 के तो हमें अभी लक्ष्य ही आवंटित नहीं हुए तो वह लक्ष्य आवंटित करवा दो, गरीबों को फायदा होगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गुरदीप सिंह।

संगरिया में खाद्य सुरक्षा योजना में पंजीयन हेतु आवेदन

615. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत समाविष्ट करने हेतु पात्रता के आधार पर निर्धारण किया जाता है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र संगरिया की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में विगत तीन वर्षों में कितने परिवारों द्वारा पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन किये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में पंजीयन के उपरांत सभी आवेदकों को खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल कर लिया गया है? यदि नहीं, तो वंचित आवेदकों को कब तक उक्त योजना में जोड़ दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी हां। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत समाविष्ट करने के लिए पात्रता के आधार पर निर्धारण किया जाता है। विधान सभा क्षेत्र संगरिया में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत समाविष्ट करने हेतु विगत तीन वर्षों में कुल 9,434 परिवारों द्वारा पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन किये गये, जिनका ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में 5,272 आवेदनों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ दिया गया है। शेष आवेदनों के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अभी बताया कि 9,434 परिवारों ने आवेदन किया था, उनकी सूची तो इन्होंने मुझे दे दी है, पर 5,272 आवेदनों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ा गया है, उनकी सूची मुझे नहीं दी है। नंबर दो, 4,162 परिवार पेंडिंग बचे हैं, उनको कब तक जोड़ देंगे?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपके जो पेंडिंग है, ये पूरे राजस्थान में जो पेंडिंग रह गये हैं, वह शर्तों के आधार पर कुछ पेंडिंग रह गये हैं। फिर भी कोई आपको लगता है, अभी भी हमारे ऑनलाइन पेंडिंग चल रहे हैं, जिसमें पोर्टल खोलकर उनकी जांच हो रही है, वह चालू होंगे। मैं आपके पास डी.एस.ओ. को भेजूंगा, वह आपके साथ बैठकर और कोई पात्र जुड़ने वाले होंगे तो जोड़ देंगे। मैं आपके पास भेजूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रूपा राम।

मकराना में आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण

616. श्री रूपा राम (मकराना): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मकराना के कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त केन्द्रों के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कौन-कौनसी योजनाओं को संचालित कर बालक-बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती ममता भूपेश): (1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में 259 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिनका संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है-

परियोजना का नाम	**कुल संचालित आं.बा. केन्द्र**	**विभागीय भवनों में**	**सरकारी विद्यालय भवनों में**	**अन्य सरकारी भवनों में**	**निजी नि:शुल्क भवनों में**	**किराये के भवनों में**
मकराना	259	27	127	220	40	45

विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/ स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आवंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से क्रमश: किराये के भवनों, नि:शुल्क भवनों, सामुदायिक भवनों तथा विद्यालयों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्धारित नोर्म्स के अनुसार निर्माण करवाया जाता है। विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण भारत सरकार से अनुदान राशि प्राप्त होने के पश्चात् नरेगा, 15वें वित्त आयोग, इत्यादि योजनाओं के कन्वर्जेंस से करवाया जाता है।

(3) प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर छह सेवाओं के माध्यम से बालक-बालिकाओं एवं अन्य लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाता है, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

1. पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा
2. शाला पूर्व शिक्षा
3. पूरक पोषाहार
4. प्रतिरक्षण (टीकाकरण)
5. स्वास्थ्य जांच
6. संदर्भ (रेफरल) सेवाएं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया गया। माननीय रूपा राम जी, आप प्रश्न पूछ लें।

श्री रूपा राम (मकराना): हां, उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया जाये। मैं प्रश्न पूछ लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मकराना विधान सभा में 259

(श्री रूपा राम)
आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हो रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि कितने पद किस श्रेणी के खाली हैं व कितने समय में ये पद भर दिये जायेंगे?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न अलग पूछा, सप्लीमेंट्री अलग पूछ रहे हैं। माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मकराना के अन्दर कुल स्वीकृत 259 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। अब इनके अन्दर कुल 41 जो मैन आंगनबाड़ी वर्कर हैं, उनके पद खाली हैं और 28 सहायिका के पद खाली हैं।

श्री रूपा राम (मकराना): यह पद कब तक भर दिये जायेंगे?

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने कहा कि इसकी प्रक्रिया है, इसकी विज्ञप्ति निकलने के बाद एक सहज प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाते हैं तो वह प्रक्रिया अभी चल रही है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जोराराम कुमावत।

सुमेरपुर में स्वीकृत सड़कें

617. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में भारूंदा से बांकली सड़क व चाणोद-केनपुरा-रानी-मुंडारा मेगा हाईवे सड़क कब स्वीकृत हुई? उक्त सड़कों पर कब एवं कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2021-22 व 2022-23 के बजट में कौन-कौनसी सड़कों की घोषणाएं हुईं? क्या उक्त सड़कों का कार्य पूर्ण हो गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में बजट 2021-22 में मिसिंग लिंक योजना में कौन-कौनसी सड़कें स्वीकृत हुईं? उक्त सड़कों पर कितनी राशि व्यय हुई? उक्त सड़कों को पूर्ण करवाने की समयावधि कब तक है? क्या उक्त सड़कों का कार्य अब तक अपूर्ण है? क्या सरकार उक्त को पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): (1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में भारून्दा से बांकली ग्रामीण सड़क 0/0 से 2/500 (2.50 कि.मी.) है। उक्त सड़क को 3.75 मीटर चौड़ाई में सड़क निर्माण हेतु दिनांक 17.01.2018 को राशि रु. 50.00 लाख की स्वीकृति जारी की गयी। चाणोद-केनपुरा-रानी-मुंडारा मुख्य जिला सड़क है, जिसकी कुल लम्बाई किमी. 0/0 से 51/0 है। इस सड़क को 3.75 मीटर से 7.0 मीटर चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु दिनांक 15.06.2017 को राशि रु. 3,197.80 लाख की स्वीकृति जारी की गई।

उपरोक्त दोनों सड़कों का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में वर्ष 2021-22 व 2022-23 के बजट में घोषित सड़कों की सूची मय पूर्ण विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में वर्ष 2021-22 के बजट में मिसिंग लिंक योजना में घोषित सड़कों की सूची मय पूर्ण वस्तुस्थिति रिपोर्ट परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है। इन कार्यों को माह अक्टूबर, 2023 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।

(विवरण एवं रिपोर्ट पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। आप प्रश्न पूछ लें।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने उत्तर के खण्ड-2 में वर्ष 2021-22 व 2022-23 की बजट घोषणा की सड़कों की सूची पेश की है। इस सूची में बजट घोषणा 2021-22 में दो सड़कों, स्टेट हाईवे 16 से सिन्दरू सड़क व लापेद से ढोला सड़क के कार्यों को प्रगतिरत बताया है। वर्ष 2022-23 बजट घोषणा के 9 कार्यों को प्रगतिरत बताया है। दो कार्यों को स्वीकृत हुए ढाई वर्ष हो गये व 9 कार्यों को स्वीकृत हुए डेढ़ वर्ष हो गये, लेकिन अभी तक सड़कों का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। कार्यों को पूर्ण करने की समयावधि क्या थी और यह कब तक पूर्ण होंगे?

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा, खण्ड-3 में लिखा हुआ है कि इन कार्यों को माह अक्टूबर, 2023 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। यह खण्ड-3 में लिखा हुआ है।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): मंत्रीजी समयावधि क्या थी? यह

(श्री जोराराम कुमावत)

2023 तक पूर्ण करने हैं। समयावधि क्या थी और जो समयावधि में पूर्ण नहीं हुए थे, उनके लिये आपने क्या कार्यवाही की?

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, समय पर नहीं हो तो चाहे कोई कांट्रेक्टर हो, तो उसके खिलाफ हम कार्यवाही करते हैं। इनकी समयावधि थी 16.04.2022 और वर्तमान में संवेदक द्वारा दो सड़कों को पूर्ण कर दिया गया है और एक सड़क पर ग्रेवल का कार्य प्रगतिरत है। संवेदक द्वारा कार्य में की गयी देरी के विरुद्ध 10.01 लाख की शास्ति नियमानुसार आरोपित की गयी है और शेष दोनों कार्यों को 31 अक्टूबर, 2023 तक पूर्ण किये जाने की संभावना है। उस पर हमने पेनल्टी लगायी है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती शोभा चौहान। श्री राजेन्द्र राठौड़।

प्रदेश में गठित बोर्ड व आयोगों में नियुक्तियां

618. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत) व **(श्री राजेन्द्र राठौड़)** (नेता, प्रतिपक्ष): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में कितने-कितने बोर्ड व आयोगों का गठन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त बोर्ड व आयोगों में निर्धारित विभिन्न पदों पर नियुक्तियां प्रदान कर दी गई हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त बोर्ड व आयोगों में शीघ्र नियुक्तियां करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विगत तीन वर्षों में गठित बोर्ड/ आयोगों की सूची परिशिष्ट-अ एवं अधिसूचना/आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-ब पर संलग्न हैं।

(2) उक्त बोर्ड/आयोग में विभिन्न पदों पर नियुक्ति अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य की सूचना परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) यह नीतिगत निर्णय है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में जो परिशिष्ट-अ दिया है, आपने रिकार्ड तोड़ 19 बोर्ड बनाये हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि जो 19 बोर्ड आपने बनाये हैं, क्या इनके लिए सम्बन्धित विभाग द्वारा बजटीय प्रावधान किया गया? जितने 19 बोर्ड बनाये गये हैं, क्या इनके लिए कार्यालय और इनके संचालन के टर्म्स एण्ड कंडीशन के अनुसार ये वर्तमान में संचालित हो रहे हैं या कागजों में ही हैं?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी बोर्ड बनते हैं, वे सारे वित्तीय प्रावधान करने के बाद ही बनते हैं और सभी के लिये बैठने के लिये और सारी व्यवस्थाएं आलरेडी हैं। जो-जो बोर्ड अब तक बने हैं, उनका नॉमिनेशन हो चुका है और वे सभी लोग वहां बैठ रहे हैं। कुछ बोर्ड ऐसे हैं जो अभी बने हैं, उनकी कार्यवाही अभी प्रक्रियाधीन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही प्रश्न पूछता हूं आप तो किसी एक बोर्ड का बता दो। आपने पहला बोर्ड बनाया राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड, इस बोर्ड का गठन हुआ 01.02.2022 को, इसके लिये आपने कितना वित्तीय प्रावधान किया और इसकी कौन-कौनसी सिफारिशों पर एक्शन-टेकन की कार्यवाही की? एक बोर्ड ही बता दो आप तो।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका जो क्वेश्चन है, वह प्रश्न से अलग जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि बोर्ड आयोग का काम सुझाव देने का है, समाज में जो भी अव्यवस्था है या क्या अच्छा करना चाहते हैं, उनके सुझाव ये देना चाहते हैं। इनकी लगातार मीटिंग हुई है और इनके जो सुझाव हैं, वे भी हमने आगे विभाग के अन्दर लिये हैं और उनकी समय-समय पर हम पालना करते हैं। ऐसी बात नहीं है। आप बताएं कोई दिक्कत है तो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): आपके 19 बोर्डों में कितने सुझाव आये? क्या आप मुझे बता सकते हो कि बोर्ड में 2 सुझाव आये, एक सुझाव आया और क्या इन बोर्डों के संचालन के लिये पैसे की जरूरत है, राशि की जरूरत है? आप किसी एक का प्रावधान बता दो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य सुझाव में पैसे कहां चाहिये?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): किसी एक का प्रावधान बता दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे कागजों में हैं। अपने-अपने कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष बना रखा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सुझाव में पैसे की जरूरत कहां पड़ती है।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह काफी पुराने माननीय सदस्य हैं और आपको यह पता भी है कि वित्त के जो प्रावधान हैं, वे विभाग को ही होते हैं। जो 19 बोर्ड हैं, हर बोर्ड का कार्य करने का अलग-अलग तरीका होता है, हर बोर्ड के अलग नियम हैं, उनके अलग कार्य निर्देश हैं कि कौन-कौनसा बोर्ड किस-किस प्रकार के कार्य करेगा। अब अपन हर चीज को इस चीज से जोड़कर देखें कि उनके वित्तीय प्रावधान हैं, काफी बोर्ड ऐसे हैं जिनके वित्तीय प्रावधान हैं, वे वित्त को लेकर भी काम करते हैं। हमारे ऐसे काफी बोर्ड हैं जैसे अनुजा निगम बोर्ड है, और बोर्ड हैं, उनके वित्त के प्रावधान भी हैं, वे उसके अन्दर सलाह देते हैं और बताते हैं कि यह चीज ऐसे करें, तो हम उस पर भी काम करते हैं। आवश्यकतानुसार बोर्ड से जो भी प्रस्ताव आते हैं, उन पर हम कार्यवाही करते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री प्रताप लाल भील। प्रश्न मैं पूछ लेता हूं, आप सप्लीमेंट्री कर लेना।

जनजाति छात्रावास व आवासीय विद्यालयों में बिस्तरों का वितरण

619. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में जनजाति छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में विगत तीन वर्षों में बालिकाओं के उपयोगार्थ उपलब्ध करवाये गये बिस्तरों पर कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त उपलब्ध करवाये गये बिस्तरों की गुणवत्ता जांच की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि जनजाति एकलव्य विद्यालय, गोगुन्दा द्वारा वितरित बिस्तरों का उपयोग नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिए कौन दोषी हैं व उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) (जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री के स्थान पर): (1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में संचालित जनजाति छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं के उपयोगार्थ उपलब्ध करवाये गये बिस्तरों पर वर्ष 2020-21 में 4,78,445/- वर्ष 2021-22 में 4,61,545/-, एवं वर्ष 2022-23 में 17,41,680/- रु. व्यय किये गये। वर्षवार, छात्रावासवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) छात्रावास में उपलब्ध करवाये गये बिस्तरों की गुणवत्ता कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के स्पेशिफिकेशन, दर तथा उपलब्ध नमूने के आधार पर सुनिश्चित की गयी तथा संचालित छात्रावास में बिस्तर जांच उपरान्त ही उपलब्ध कराये गये हैं।

(3) जी नहीं। जनजाति एकलव्य विद्यालय, गोगुन्दा द्वारा वितरित बिस्तरों का उपयोग किया जा रहा है।

जनजाति एकलव्य विद्यालय, गोगुन्दा द्वारा वितरित बिस्तरों का उपयोग किया जा रहा है एवं जुलाई, 2023 से प्रवेश प्रक्रिया जारी है तथा क्षमता वृद्धि के साथ ही नवीन प्रवेशित छात्राओं को बिस्तर वितरित किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि जो एडवांस में आपने बिस्तर वहां पर भिजवा दिये थे, जहां पर पहले से ही 240 की क्षमता वाला आवासीय विद्यालय था, वहां पर पहले से ही बिस्तर उपलब्ध थे तो एडवांस में आपने 250 बिस्तर और क्यों भिजवा दिये? मेरा प्रश्न यह है।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराये जाते हैं। जब छात्रावास के अधीक्षक डिमांड करते हैं, तभी वहां पर उपलब्ध करवाये जाते हैं। अगर वहां पर छात्रों के लिये बिस्तर नहीं होंगे तो फिर अव्यवस्था हो जाती है, अत: आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराये जाते हैं।

(समय: 12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

माननीय लीडर आफ अपोजिशन, मेरी व्यवस्था के बाद आप प्रश्न उठा सकेंगे।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी में बढ़े हुए जलस्तर से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री पुखराज, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में स्वीकृत 33/11 के.वी.जी.एस.एस. का निर्माण करवाने एवं सिंगल-फेज सप्लाई सुचारु नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खींवसर के घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज वसूले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द की कतिपय ग्राम पंचायतों के पंचायत सहायकों का मानदेय समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से नैनवां रोड जिला बूंदी स्थित वन विभाग की सैकड़ों बीघा जमीन पर अतिक्रमण होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से प्रदेश में नेक्सा एवरग्रीन कम्पनी द्वारा योजनाओं में निवेश के नाम पर आमजन से की जा रही ठगी की निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

(7) श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से प्रदेश के राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों से बी.एल.ओ. का कार्य करवाये जाने से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आमेर की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण करवाये जाने के संबंध में।

(9) श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के प्रतापनगर तिराहे पर स्थित डम्पिंग स्टैण्ड को अविलम्ब हटाये जाने के संबंध में।

(10) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से नगर परिषद्, चित्तौड़गढ़ में सूचना का अधिकार कानून 2005 की पालना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर शहर के गली-मोहल्लों में बरसाती पानी के एकत्रित होने से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की राशि वित्त विभाग से खर्च करने की अनुमति नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के जुलाई, 2023 को मनाली, हिमाचल प्रदेश में पानी के तेज सैलाब में बहे 07 युवकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी और वित्तीय सहायता दिलवाये जाने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री पुखराज एवं श्री शंकर सिंह रावत को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं। आज 15 की जगह 22, जितने भी माननीय सदस्यों ने दिये हैं, उन सबको मैंने इसमें इन्क्लूड किया है।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से प्रदेश में विद्युत के घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं से अतिरिक्त अधिभार वसूले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

(3) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत में फसल खराबे का मुआवजा शीघ्र दिलवाये जाने के संबंध में।

(4) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में।

(5) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से आसीन्द विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

(7) श्री जोगिन्दर सिंह अवाना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नदबई में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उच्चैन को क्रमोन्नत करने के संबंध में।

(8) श्री गणेश घोघरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में कतिपय मार्गों पर निगम की बस सेवा का संचालन प्रारम्भ करवाने के संबंध में।

(9) श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में ग्राम पंचायतों के विकास संबंधी प्रस्तावों के शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण के संबंध में।

(10) श्री हीराराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में ग्राम बिजवाड़िया एवं लाम्बा में पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण करने के संबंध में।

(11) श्री वाजिब अली, सदस्य की ओर से जिला भरतपुर में कृषि भूमि के खातेदारी के अधिकार दिए जाने के संबंध में।

(12) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से सुजानगढ़ को नवीन जिला बनाए जाने के संबंध में।

(13) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ-2023 की अधिसूचना जारी करवाकर किसानों को राहत दिए जाने के संबंध में।

(14) श्री अभिनेश महर्षि, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

(15) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली में डी.एम.एफ.टी. मद से स्वीकृत विकास कार्यों में शिथिलता एवं पक्षपात बरते जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(16) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(17) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से प्रदेश में शिक्षकों को बी.एल.ओ. सहित अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करने के संबंध में।

(18) श्री कान्ति प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के किसानों को आबंटित कृषि भूमि का आबंटन निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(19) श्री गजराज खटाणा, सदस्य की ओर से उप खण्ड बांदीकुई को नवीन जिला बनाने के संबंध में।

(20) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से नैनवां रोड जिला बूंदी स्थित वन विभाग की सैकड़ों बीघा जमीन पर अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(21) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापना करवाये जाने के संबंध में।

(22) श्री राकेश पारीक, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मसूदा के आमजन को खातेदारी अधिकार दिए जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

माननीय लीडर आफ अपोजिशन।

अनुरोध एवं मांग

श्री मदन दिलावर, निलम्बित माननीय सदस्य का निलम्बन निरस्त करने का अनुरोध

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, 15वीं विधान सभा का यह आखिरी सत्र आपके नेतृत्व में बड़ी अच्छी तरह संचालित हो रहा था। 21 जुलाई को सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य अचानक वैल में आकर कागज लहराते हुए जब मणिपुर की घटना पर भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है, इस पर हम लोगों से जवाब मांग रहे थे, ठीक उसी समय हमने इनको कहा था कि राजस्थान के अंदर जो दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, एन सी आर बी के आंकड़ों के अनुसार पहले पायदान पर राजस्थान है, उस पर चर्चा कराएं। तभी माननीय सदस्य ट्रेजरी बैंचेज से तत्कालीन गृह रक्षा राज्य मंत्री

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जी उठे और उन्होंने राजस्थान की आज की स्थिति में महिला दुष्कर्म में राजस्थान की सरकार पर लानत भेजते हुए कहा कि यहां स्थिति ठीक नहीं है। आपने उनको बर्खास्त किया, यह आपका मामला है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसका क्या लेना-देना है? इस बात की क्या रेलेवेंसी है? इस बात की कोई रेलेवेंसी ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह तो मिली हुई नूरा-कुश्ती थी।

श्री अध्यक्ष: मेरा काम है। मेरा काम है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मिली हुई नूरा-कुश्ती थी इनकी। इनकी मिली हुई नूरा-कुश्ती थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, बैठें प्लीज।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। बैठें प्लीज। माननीय सदस्य, आप सीनियर आदमी हैं। माननीय सदस्य, बैठें प्लीज। माननीय सदस्य, आप सीनियर मैंबर हैं। लीडर आफ अपोजिशन और लीडर आफ हाउस, दोनों को बोलने की जब इजाजत देता है चेयर तो उसमें इंटरवेंशन नहीं होता है और इन्होंने यील्ड नहीं किया है, he has not yet yielded. The word is 'not yielded'. He has not given a space. It is his right to speak only. So when he is speaking, I expect from all the members, please listen him. Please conclude, माननीय राठौड़ साहब, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ़ दल में माननीय मुख्य मंत्री जी का विवेकाधिकार है कि किसको मंत्री परिषद् में रखें और किसको नहीं रखें। गृह रक्षा राज्य मंत्री बर्खास्त हुए और यह दृश्य जिसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, जिसके कारण से रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य को सत्ता पक्ष के माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, उन्हीं के जिले से आते हैं, इन्होंने प्रस्ताव रखा और 15वीं विधान सभा की शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ उसी बात की चर्चा कर रहा था कि निलंबित

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय गृह रक्षा राज्य मंत्री जी ने जब लाल डायरी लेकर यह बात कहनी चालू की, टेबल पर रखना चाहा तो उस समय उत्तेजना का वातावरण बना और सत्ता पक्ष के, दोनों गुट सत्ता पक्ष के हैं, वह भी ट्रेजरी बैंचेज में विराजते हैं। ट्रेजरी बैंचेज में जिस प्रकार का झगड़ा हुआ, उसमें रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य वैल में आये थे, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन उनका ऐसा कोई कृत्य नहीं कि अचानक प्रस्ताव आता है और उन्हें निलंबित किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे दो निवेदन हैं। एक निवेदन तो यह है कि आज जिस बात पर मुख्य मंत्री जी ने ट्वीट किया है कल भी कि असम में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में महिलाओं के दुष्कर्म की घटनाएं ज्यादा हैं और राजस्थान में कम हैं तो इस पर एक चर्चा हो जाये। दूसरा मेरा निवेदन है कि हमारे पक्ष के माननीय मदन दिलावर जी के आप फोटोज देख लें। अध्यक्ष महोदय, फोटो देखकर के आप फैसला कर लें। ऐसा कोई कृत्य नहीं है।

15वीं विधान सभा का यह आखिरी सत्र हम आपकी सदारत में गरिमापूर्ण समापन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके साथ फोटोग्राफ में भी रहें, लेकिन एक सदस्य, जिसका कोई कसूर नहीं, उसका इस प्रकार से निलंबन तो उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी कुछ अनुत्तरित सवाल आ जाते हैं तो उसमें सदन की गरिमा का भी सवाल उठ जाता है। सत्ता पक्ष की गरिमा का भी सवाल उठ जाता है। एक डाक्यूमेंट लाल डायरी यहां टेबल होता है और उसको छीनकर ले जाया जाता है। यह भी उचित कार्यवाही नहीं है ...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): यह एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन गयी है भारतीय जनता पार्टी असत्य बोलने की ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार ...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ना तो वह टेबल करना चाहते थे ...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मिथ्या वाचन हो रहा है ...(व्यवधान)

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इस कुकृत्य के लिए माफी मांगो ...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आज तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इंतहा कर दी है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.09 बजे 12.39 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

(समय: 12.39 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्री पुखराज। ...(व्यवधान) श्री पुखराज। (व्यवधान) माननीय पुखराज। (व्यवधान) माननीय पुखराजजी, आपको बोलना है स्थगन प्रस्ताव पर?

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर नारे)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

भोपालगढ़ में स्वीकृत 33/11 के.वी.जी.एस.एस. का निर्माण कार्य एवं सिंगल फेज की सुचारु सप्लाई

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रक्रिया के नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में स्वीकृत 33/11 के.वी.जी.एस.एस. का निर्माण करने एवं सिंगल फेज सप्लाई सुचारु बनाए रखने पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री पुखराज के अलावा अंकित नहीं होगा। श्री पुखराज बोलें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के अंदर लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि एवं पशुपालन है, लेकिन पिछले काफी समय से क्षेत्र में सिंगल फेज ब्लाक आवर्स में 6 घंटे सप्लाई मिलती है, वह भी किसानों को सुचारु रूप से नहीं मिल रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो सप्लाई का डिस्टर्बेंस है उसका कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर स्वीकृत जी.एस.एस. का कार्य पूरा

(श्री पुखराज)

नहीं होना है। पिछले साढ़े चार साल से जिस जी.एस.एस. का काम चालू किया गया है उसका काम ठेकेदार द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों के द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है। उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करके दूसरे ठेकेदार को काम दें और जी.एस.एस. का काम जल्दी पूर्ण कराएं, यही मेरा निवेदन है। मेरे भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पांच 33/11 केवी के नये जी.एस.एस. दईकडा, मिण्डोली, खोखरिया, दाइमी, लवारी में काफी समय से स्वीकृत हैं। उनका काम जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह रावत।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

नियम 295। श्री नारायण सिंह देवल (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)। श्री धर्मेन्द्र कुमार (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)। श्रीमती शोभा चौहान (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)। श्री गिरधारीलाल।

डूंगरगढ़ में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में बहुत सारे स्कूलों में थर्ड ग्रेड़ सैकंड ग्रेड एवं फर्स्ट ग्रेड के पद रिक्त चल रहे हैं, जिसके कारण छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। ज्यादातर छात्र अध्यापकों के अभाव में सरकारी स्कूल छोड़कर निजी स्कूलों में प्रवेश लेने को मजबूर हैं। लम्बे समय से थर्ड ग्रेड के अध्यापकों के तबादलों पर सरकार ने रोक लगा रखी है, जिसके कारण दूर-दराज के क्षेत्रों के अध्यापक अपने गृह जिलों में आने के लिए लगातार सरकार से मांग करते आ रहे हैं। अध्यापकों की मांग को देखते हुए तृतीय ग्रेड के अध्यापकों के तबादले खोलकर अपने ऐच्छिक स्थान व जहां पर पद रिक्त चल रहे हैं, वहां लगाएं, जिससे रिक्त पद भी भरे जा सकेंगे और जो छात्र व अभिभावक गरीब तबके के हैं, उन्हें सरकारी स्कूलों में शिक्षा का लाभ भी मिल सकेगा। धन्यवाद।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री जब्बर सिंह (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खडे नहीं हुए)। श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

उच्चैन के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उच्चैन को 30 बेड से 50 बेड में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई के अन्तर्गत वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उच्चैन संचालित है, जो कि पिछले कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। उच्चैन तहसील के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी कार्यालय, नगरपालिका कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, वृत्ताधिकारी कार्यालय, डिग्री कालेज, मुन्सिफ न्यायालय, पोलीटेक्निक कालेज, कृषि उपज मण्डी, सभी सरकारी बैंक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व अन्य सरकारी कार्यालय स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में संचालित हैं।

नव गठित नगरपालिका, पंचायत समिति व सभी विभागों के कार्यालय वर्तमान में संचालित हैं। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उच्चैन सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र के आमजन को अपनी सेवाएं देता है, जिस कारण से मरीजों की संख्या काफी अधिक रहती है, परन्तु डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ व अन्य मंत्रालयिक कर्मचारियों की कमी के कारण रोगियों व स्थानीय आमजन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 बेड से 50 बेड में क्रमोन्नत किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का जनहित के उक्त मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उच्चैन की 30 बेड की क्षमता को 50 बेड में क्रमोन्नत करने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गणेश घोघरा।

डूंगरपुर में कतिपय मार्गों पर निगम की बस सेवा का संचालन

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में राजस्थान राज्य

(श्री गणेश घोघरा)

पथ परिवहन निगम की बसों की सुविधा का अभाव है, जिससे स्थानीय जनता को आवागमन में बहुत परेशानी होती है। निजी बस संचालकों द्वारा स्थानीय गरीब जनता से मनमाना किराया वसूला जाता है। स्थानीय छात्र-छात्राओं को अध्ययन हेतु परिवहन बसें नहीं होने से आने-जाने में भी परेशानी होती है। कई बार निजी बसों व आटो आदि में छात्राओं से छेड़छाड़ की घटनाएं हो चुकी हैं।

यह सर्वविदित है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र अति पिछड़ा हुआ है तथा यह आदिवासी एवं टी.एस.पी. क्षेत्र है। इसको मद्देनजर रखते हुए यहां पर राजस्थान परिवहन निगम की बसों की अति आवश्यकता है। अतः मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और परिवहन मंत्री जी से निवेदन कर मांग करता हूं कि निम्न स्थानों पर निगम की बसें अतिशीघ्र चालू करवाने का श्रम करें:-

1. डूंगरपुर से थाना वाया वीरपुर, शरम गुजरात सीमा तक।
2. डूंगरपुर से बिच्छीवाड़ा, चुण्डावाड़ा तलिया, पालीछोड़ा गुजरात सीमा तक।
3. डूंगरपुर से रतनपुर गुजरात सीमा तक।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हीराराम।

बिलाड़ा के ग्राम बिजवाड़िया एवं लाम्बा में पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण

श्री हीराराम (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में ग्राम पंचायत बिजवाड़िया हर्ष देवल मन्दिर (चमत्कारिक शिव मन्दिर) पुरातात्विक स्थल हमारे गौरवमयी इतिहास की अमूल्य धरोहर हैं, जिसका संरक्षण हमारा पुनीत कर्तव्य है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत बिजवाड़िया में हर्ष देवल मन्दिर के संरक्षण के लिए ग्रामवासियों द्वारा आयोजित सभा के दौरान इस अमूल्य धरोहर के बारे में कई मांगें रखी गयीं। मन्दिर का नाम ग्राम हर्ष व देवालय होने के कारण हर्ष देवल पड़ा। मन्दिर का निर्माण 11वीं शताब्दी का माना जाता है, लेकिन पूजा स्थल उससे भी पुरातन है।

जैसा कि बड़े-बुजर्गों द्वारा कहा जाता है, पाण्डवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहां भी व्यतीत किया था। तब से इस पूजा स्थल की स्थापना की गयी। मन्दिर का निर्माण बगड़ावतों के राजा भोज द्वारा 11वीं शताब्दी में करवाया गया। मन्दिर के गर्भ गृह के ऊपर छत नहीं है, जिसके बारे में यह

(श्री हीराराम)

कहा जाता है कि मन्दिर का निर्माण एक रात्रि के अन्तिम पहर में हुआ। जब छत लगाने की बारी आयी, तब कहीं किसी घर में चक्की चलने की आवाज सुनाई दी। तब काम को वहीं रोक दिया गया (छत पर लगने वाला सामान आज भी मौजूद है)। मन्दिर के बारे में और कई बातें हैं। कहा जाता है कि मन्दिर में जो स्तम्भ स्थित हैं, उनकी एक बार गिनती करने पर जो संख्या आती है, वह अगली बार नहीं आती, यानी या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। गर्भ गृह के ऊपर दीवारों पर बड़े-बड़े मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए हैं। नीचे कितना भी धुआं हो, मधुमक्खियां नहीं उड़तीं। मन्दिर की दीवारों पर कारीगरी बेजोड़ है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

साथ ही ग्राम पंचायत लाम्बा में पंचायत भवन, सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत बन रहे कार्यालयों एवं आवासों के निरीक्षण के दौरान पुरातत्व विभाग के अधिकार में आये हुए पुराने मन्दिर को देखने का अवसर मिला, जिसके इतिहास के बारे में कहा जाता है कि राजा गदर्भ द्वारा निर्मित मन्दिर जो बिजवाड़िया के हर्ष देवल मन्दिर जैसा ही है, उसी तरह से निर्मित है। पुरातन स्थान हमारी अमूल्य अनमोल धरोहर हैं, जिनके संरक्षण से गौरवशाली इतिहास की सुरक्षा तो होगी ही, साथ ही पंचायत की निजी आय में भी इजाफा होगा।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि ग्राम बिजवाड़िया में हर्ष मन्दिर एवं ग्राम लाम्बा में भगवान शिव का मन्दिर दोनों पुरातन स्थल हैं, जिनका जीर्णोद्धार करवाया जाये। इससे हमारे पुरातन स्थल, हमारी अमूल्य अनमोल धरोहर सुरक्षित रहेंगे और पर्यटन स्थलों का रूप भी लेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री वाजिब अली।

भरतपुर में कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार

श्री वाजिब अली (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

राजस्थान राज्य के जिला भरतपुर में समस्त सीमा क्षेत्र के अन्दर आने वाली कृषि भूमि पर किसी भी व्यक्ति को हैसियत दर्ज गैरखातेदार, पट्टेदार, सिकमी वगै. को खातेदार के रूप में दर्ज कराने के लिए अधिसूचना जारी करवाने के सम्बन्ध में।

(श्री वाजिब अली)

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान राज्य में संवत् 2012 में राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आया था। उसके तत्काल पश्चात् भरतपुर जिले की रियासत में, भरतपुर रेवेन्यू बोर्ड, 1956 लागू हुआ, जिसकी तरफ आज किसी भी व्यक्ति का कोई ध्यान नहीं है और यही वजह है कि भरतपुर जिले में अधिकांशतः काश्तकारों की जमीन गैर खातेदार पट्टेदार की हैसियत से दर्ज है, जो कि कानूनन खातेदार की हैसियत से दर्ज होनी चाहिये।

भरतपुर जिले में कानूनी रूप से कोई भी कृषि भूमि कस्टोडियन नहीं रही, लेकिन आज भी जिले के समस्त अधिकारी चाहे जिस जमीन को कस्टोडियन कहकर खातेदारी से रोकते चले आ रहे हैं। वर्ष 1967 में एकमुश्त जमीन की कीमत राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को दी गयी, जिसकी पालना में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपनी न्यायिक पीठ में निर्णय भी पारित किया गया। तदुपरान्त भी पालना नही हुई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गलत बात कर रहे हैं। आप सीनियर आदमी हैं।

श्री वाजिब अली (नगर): वर्ष 1972 में सिकमी गैरमोरोसी पट्टेदार और यहां तक गैर खातेदार को भी भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के मुताबिक खातेदारी मिली, लेकिन उनकी भी पालना आज तक नहीं हुई। वर्ष 2005-06 में कस्टोडियन सम्बन्धित अधिसूचना जारी की गयी, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ और आज भी भरतपुर जिले के काश्तकार तहसील नगर सीकरी वगै. के अधिकांश मुस्लिम भाई अपनी जमीन की पीड़ा में पीड़ित हैं। वे अपनी जमीन का सदुपयोग व उपभोग अपनी इच्छा से करने के लिए इसलिए स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि उनकी हैसियत गैरखातेदार पट्टेदार वगै. दर्ज है। अत: प्रार्थी अपने क्षेत्र की जनता की समस्या को अपनी ओर से रखकर यह आग्रह करना चाहता है कि भरतपुर जिले अथवा नगर, सीकरी तहसीलों से सम्बन्धित एक आदेश जिला कलेक्टर, भरतपुर/डीग को जारी इस आशय के साथ किया जाये कि लैंड होल्डर्स से एक समूह के रूप में सूचना लेकर एकमुश्त जनरल आदेश दिलाने की कार्यवाही हो।

अतः समस्त जनता-जनार्दन की ओर से विधान सभा क्षेत्र नगर की तरफ से प्रार्थना पत्र पेश कर गुजारिश है कि भरतपुर जिले/डीग के लिए एक ऐसी अधिसूचना अथवा आदेशिका जारी की जाये कि समस्त व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार हासिल हो सके।

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

सुजानगढ़ को नया जिला बनाया जाना

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.03.2023 को 19 जिलों के निर्माण की घोषणा की गयी है, परन्तु उक्त घोषणा में सुजानगढ़/सुजला जिला नहीं बनाया गया है जिससे क्षेत्र के लोगों में भारी रोष है तथा लगातार उग्र धरने व प्रदर्शन किये जा रहे हैं।

सुजानगढ़ रियासतकाल में बीकानेर रियासत की निजामत रही है। इसके अन्तर्गत काफी तहसीलें आती थीं जिनका न्यायिक जिला कार्यालय व जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सुजानगढ़ ही था, परन्तु 1949 में राज्य के पुनर्गठन के समय जिला मुख्यालय सुजानगढ़ से चूरू कर दिया गया था। जिला चूरू की सुजानगढ़, बीदासर, रतनगढ़, राजलदेसर एवं जिला नागौर की लाडनूं तहसील के निवासियों ने अपने-अपने जिला मुख्यालय से लम्बी दूरी, जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति एवं प्रशासनिक असुविधा व लम्बा क्षेत्र होने से विकास में आने वाली कठिनाइयों के आधार पर नया जिला सुजानगढ़/सुजला की लम्बे समय से राज्य सरकार से मांग कर रखी है।

सुजानगढ़ शहर में नगर परिषद् लम्बे समय से है तथा वर्तमान में लगभग 1.50 लाख की आबादी है। लाडनूं शहर की आबादी भी 80 हजार है तथा इन दोनों शहरों को जोड़ते हुए कस्बा जसवन्तगढ़, जिसकी लगभग 20 हजार की आबादी है। इस तरह तीनों कस्बे आपस में जुड़े हुए हैं, जिनकी सम्मिलित शहरी जनसंख्या 2.50 लाख से ऊपर है तथा इनका ग्रामीण क्षेत्र मिलाकर आबादी 10 लाख से ऊपर है।

सुजानगढ़ तहसील का अंतिम छोर, अंतिम गांव जिला मुख्यालय चूरू से लगभग 180 किलोमीटर दूर है, जबकि सुजानगढ़ से लाडनूं शहर मात्र 10 किलोमीटर है व तहसील मुख्यालय रतनगढ़ व राजलदेसर 50 किलोमीटर ही है तथा बीदासर 25 किलोमीटर दूर है। सुजानगढ़/सुजला जिला बनाने पर इन सभी तहसीलों के दूरस्थ गांव 70 से 80 किलोमीटर की परिधि में रहेंगे।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि उपरोक्त समस्त तथ्यों पर गंभीरता से विचार कर चूरू जिले की सुजानगढ़, बीदासर, रतनगढ़, राजलदेसर एवं नागौर जिले की लाडनूं तहसील को मिलाकर नया जिला सुजानगढ़/सुजला बनाया जाये, ताकि लम्बे समय से क्षेत्र के लोगों की चली आ रही मांग पूरी हो सके। धन्यवाद।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण बेनीवाल।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ-2023 की अधिसूचना

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो 295 का प्रस्ताव दिया था, उसकी अधिसूचना केन्द्र सरकार ने जारी कर दी है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अभिनेश महर्षि (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)। श्री धर्मनारायण जोशी (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)। श्री जोराराम कुमावत। (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए) श्रीमती संतोष (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)। श्री कान्ति प्रसाद।

थानागाजी के किसानों को आबंटित कृषि भूमि का आबंटन निरस्तीकरण

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

थानागाजी विधान सभा क्षेत्र के हजारों किसानों की जीविका के एक मात्र साधन आबंटित कृषि भूमि के आदेशों को राजनीतिक षड्यंत्र के परिणामस्वरूप गैर जरूरी, विधि विरुद्ध आक्षेप एवं निराधार नियम विरुद्ध आधार पर तत्कालीन जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा रातों-रात निरस्त कर किसानों को भूमिहीन बना दिये जाने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के समाधान हेतु निरस्त आबंटन की बहाली चाहने बाबत।

महोदय, किसानों के हितार्थ सरकार से विशेष आग्रह है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के तहत थानागाजी विधान सभा क्षेत्र की राजगढ़ एवं टहला तहसील में अधिकांशतः दुर्गम क्षेत्र होने, सरिस्का अभयारण्य से व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध होने के कारण खेती ही एकमात्र हजारों किसानों के जीवनयापन का साधन है। हजारों लोगों की पुरज़ोर व्यापक मांग पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय की स्पष्ट किसान/हितैषी नीति एवं मंशा के अनुसरण में सभी जाति व वर्ग के 803 भूमिहीन किसानों को कृषि प्रयोजनार्थ आबंटन सलाहकार समिति के द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र में भूमि आबंटन किये तथा लगभग 500 किसानों के भूमि आबंटन प्रकरण प्रक्रियाधीन थे, जिससे सीधे तौर पर लगभग 5000 किसानों/व्यक्तियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने थे, परन्तु बाद में राजनीतिक षड्यंत्र के परिणामस्वरूप तत्कालीन

(श्री कान्ति प्रसाद)
जिला कलेक्टर ने गैर जरूरी, विधि विरुद्ध आक्षेप एवं निराधार, नियम विरुद्ध आधार पर रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल खोला। इरादतन अतिलंघन कर स्वयं बिना कोई आवेदन लिए, बिना एक भी किसान को यथोचित सुने, बिना एक भी किसान का पक्ष सुने-पढ़े, पूरी तरह एकतरफा नियम विरुद्ध आधार पर सभी भूमिहीन किसानों के आबंटन निरस्त कर इन हजारों किसानों के परिवारों के साथ भारी अन्याय, अत्याचार एवं आघात किया है। 47 एस.सी., 226 एस.टी., 469 ओ.बी.सी. व 61 सामान्य वर्ग के आबंटियों में से लगभग 200 आबंटी परिवार ऐसे किसान हैं, जिनके नाम देश आजाद होने से आज तक कोई भूमि उपलब्ध/दर्ज नहीं है। लगभग 13 ऐसे भूमिहीन किसान परिवार हैं जिनकी मुखिया विधवा महिलाएं हैं। लगभग 50 ऐसे भूमिहीन आबंटी किसान हैं जिनके नाम कोई भी जीवनयापन के साधन उपलब्ध नहीं हैं। बाकी शेष आबंटियों को तीन से चार बीघा उनके कब्जे की ही भूमि आबंटित की गई है। इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा श्री टी. रविकांत, आई.ए.एस. की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया था, लेकिन जांच समिति की रिपोर्ट आने से पहले ही तत्कालीन जिला कलेक्टर ने बिना कोई आदेश सभी आबंटन निरस्त कर असंवेदनशील कार्य किया, जिससे व्यथित होकर सभी किसान माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलने जयपुर के लिए पैदल कूच पर चले। मुख्य मंत्री कार्यालय से सात दिवस में समुचित कार्यवाही का आश्वासन पर वापस लौटे, लेकिन आज दिनांक तक किसानों को कोई भी राहत नहीं दी गई है।

अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये सरकार से पुनः निवेदन है कि निरस्त किये गये उक्त समस्त आबंटन पुनः बहाल किये जाएं एवं शेष रहे प्रक्रियाधीन आबंटन पत्रावलियों का निस्तारण करवाकर आबंटन आदेश जारी करवाने की कृपा करें।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री गजराज खटाणा।

बांदीकुई को नया जिला बनाने की घोषणा

श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 295 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

जैसा कि सभी को विदित है कि हाल ही में बजट में राज्य सरकार द्वारा राज्य में 19 नये जिले स्वीकृत किये गए हैं, जो कि सरकार का एक ऐतिहासिक कार्य है। मेरे विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई को भी लम्बे समय से जिला बनाए जाने की मांग की जाती रही है। जिला बनाए जाने की समस्त

(श्री गजराज खटाणा)

योग्यताओं के उपरान्त भी इस बजट में बांदीकुई को जिला नहीं बनाया गया है जिससे कि क्षेत्र की जनता में अत्यंत आक्रोश व्याप्त है।

महोदय, बांदीकुई दौसा जिले में दौसा के बाद सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। बांदीकुई दौसा जिले के मध्य में स्थित है, जहां पर जिले के सभी क्षेत्रों से आवागमन की सुविधा है। बांदीकुई में यातायात सुविधाओं की पर्याप्तता है। रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग के माध्यम से बांदीकुई कस्बा दौसा, जयपुर, अलवर, दिल्ली एवं आगरा से जुड़ा हुआ है। देशभर में प्रसिद्ध आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन हेतु देशभर से लाखों श्रद्धालु रेलमार्ग से बांदीकुई आते हैं तथा बांदीकुई के पास स्थित विश्वविख्यात चांद बावड़ी, आभानेरी हेतु देश-विदेश से पर्यटक निरंतर आते रहते हैं।

अतः मैं सदन के माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आमजन की मांग को मद्देनजर रखते हुए बांदीकुई को जिले का दर्जा दिलवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)। श्री संजय शर्मा (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)। श्री राकेश पारीक।

मसूदा के आमजन को खातेदारी अधिकार

श्री राकेश पारीक (मसूदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत ग्राम पंचायत बाडी, जालिया-द्वितीय, बरल, पंचायत समिति, मसूदा, जिला अजमेर के नागरिकों को गैर खातेदारी भूमि को खातेदारी भूमि अधिकार दिलवाने बाबत प्रस्ताव।

महोदय, ग्राम पंचायत बाडी, जालिया द्वितीय एवं बरल, पंचायत समिति मसूदा, जो कि विधान सभा क्षेत्र में लगता है। इस पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में निवास करने वाले सभी नागरिकों को गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त हैं। इनको खातेदारी अधिकार दिलाये जाने की कृपा करें जिससे यहां के स्थानीय निवासियों को ऋण लेने व जमीन बेचने खरीदने की समस्या का निराकरण हो सके।

(समय: 13.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री महेन्द्र चौधरी।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 41)

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के इकतालीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 24 जुलाई, 2023 को मध्याह्न पश्चात् 4.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि बुधवार, दिनांक 02 अगस्त, 2023 को सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

बुधवार, दिनांक 02 अगस्त, 2023	1 राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2023; 2. राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक, 2023; 3. महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2023; 4. राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2023; एवं 5. नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2023 - पर विचार एवं पारण।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के इकतालीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के इकतालीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचना। श्री हेमाराम चौधरी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गए उल्लेख के अनुसार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की निम्नांकित 6 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: प.8(1)पर्या/1999-पार्ट दिनांक 31.12.2021 जिसके द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के जैव विघटनीय और कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक से निर्मित कैरी बैग के संबंध में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: प.6(1)पर्या/2016 दिनांक 16.11.2022 जिसके द्वारा राजस्थान वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) नियम, 1983 में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: प.6(1)पर्या/2016 दिनांक 16.11.2022 जिसके द्वारा राजस्थान जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है;
4. अधिसूचना संख्या: प.6(1)पर्या/2016 दिनांक 16.03.2023 जिसके द्वारा राजस्थान वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) नियम, 1983 में संशोधन किया गया है;
5. अधिसूचना संख्या: प.6(1)पर्या/2016 दिनांक 16.03.2023 जिसके द्वारा राजस्थान जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है; एवं
6. अधिसूचना संख्या: प.6(1)पर्या/2016 दिनांक 31.05.2023 जिसके द्वारा राजस्थान वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) नियम, 1983 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल जाट।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल्स लिमिटेड का 74वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी

(श्री रामलाल जाट)

अनुमति से कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल्स लिमिटेड का 74वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपसे फिर अनुरोध करूंगा, मैंने आपको मौका दिया अपनी बात कहने का। सदन में आपने अपना प्रोटेस्ट कर दिया। आप अपने स्थान पर जायें। मैं फिर विधायी कार्य लूंगा।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सदस्य, अपने स्थान पर। अंकित नहीं होगा।

सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.02 बजे 13.32 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(समय: 13.32 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, ये विधान सभा में सीटी बजवा रहे हैं। आप इनको प्रताड़ित करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, हम सदन चलाना चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2023, श्रीमती शकुन्तला रावत। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) हम चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही चले, सरकार यह खोटा बिल लाकर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2023

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाय।

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्‌वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री बिहारीलाल (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री अशोक लाहोटी (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री अविनाश (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

प्रश्न यह है कि नाथद्‌वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 8 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 8 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 8 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती शकुन्तला रावत।

विधेयक का पारण

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा मन्दिर अधिनियम, 1959 के तहत पुष्टिमार्ग वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मन्दिर तथा बोर्ड का गठन ...(व्यवधान)

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया।

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2023, श्री रामलाल जाट।

विधेयक पर विचार

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2023 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद। निश्चित रूप से 1955 के राजस्थान अधिनियम संख्या 3 की धारा 48 का संशोधन, जो माननीय मंत्री महोदय लेकर आये हैं, इसमें अधिनियम, जिसे इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 48 की विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी।

"इसमें लिखा है कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित किसी शक्ति संयंत्र को, अपनी भूमि पर स्थापित करने में अंतर्वलित कोई व्यक्ति, कम्पनी या सरकारी इकाई राज्य सरकार को शक्ति संयंत्र स्थापित करने के लिए उपयोग में ली गयी भूमि के पार्श्वस्थ और अभिधारी के रूप में उनके कब्जे में किसी भूमि के खण्ड को, शक्ति संयंत्र स्थापित करने के लिए उपयोग में ली गयी भूमि के भीतर आने वाली सरकारी भूमि के किसी खण्ड के साथ विनिमय करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे।"

(श्री नारायण बेनीवाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, 251 (के) में भूमि के बदले भूमि देने का प्रावधान निश्चित रूप से आपका एक अच्छा विचार हो सकता है, पर जिनकी भूमि रास्ते से लगती है, उनकी कीमत एवं रास्ते से नहीं लगने वाले खसरों की कीमत में जमीन आसमान का अंतर है। अत: रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के बदले कम से कम दोगुनी भूमि का प्रावधान यदि इसमें किया जाता तो अच्छा होता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 251 (ए) का जो प्रस्ताव पहले लेकर आये थे, उसके वाद उप खण्ड न्यायालय में लंबे समय से पड़े हैं। यहां जितने भी माननीय सदस्यगण बैठे हैं, मेरे हिसाब से इनके विधान सभा क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों प्रकरण उप खण्ड अधिकारियों के वहां पड़े हैं। उप खण्ड अधिकारी यदि उसमें फैसला कर देते हैं तो वह आर ए ए के आगे चला जाता है। आर ए ए के बाद रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू के बोर्ड के बाद वह हाई कोर्ट में, यह प्रक्रिया इतनी लम्बी हो गई, इसमें आपको समयावधि का लगाना चाहिये था। इसमें आप ढंग से मानिटरिंग कर नहीं पाये। रेवेन्यू के न्यायालयों में ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, बीजेपी के मेरे साथी मुझे कुछ कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हो गया।

श्री अशोक लाहोटी (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री बिहारीलाल (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्रीमती अनिता भदेल (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री रामप्रताप कासनियां (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री अविनाश (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री जगदीश चन्द्र (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री अमृतलाल मीणा (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

(श्री अध्यक्ष)

श्री अभिनेश महर्षि (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

सुश्री दिव्या मदेरणा (अनुपस्थित)

श्री रामलाल शर्मा (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री धर्मनारायण जोशी (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 व 3 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय मंत्री जी प्रस्ताव रखेंगे।

विधेयक का पारण

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 251 (के) में माननीय सदस्य की बात का ध्यान रखेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया।

राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक, 2023, श्री अंजना उदयलाल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक, 2023

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष: श्री बिहारीलाल (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री अशोक लाहोटी (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री अविनाश (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री रूपा राम (मकराना) (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

सुश्री दिव्या मदेरणा (अनुपस्थित)।

श्री वासुदेव देवनानी (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

(श्री अध्यक्ष)

श्री सतीश पूनियां। (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, जब-जब चुनाव आते हैं तो सारे दल एक ही बात कहते हैं कि हम सत्ता में आयेंगे और किसानों का कर्जा माफ करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है 2014 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी जी देश भर में प्रचार कर रहे थे तो एक ही बात कह रहे थे कि जिस दिन भारत में मोदी जी की सरकार बनेगी, उसी दिन किसानों का कर्जा मोदी जी का कर्जा हो जायेगा। मुझे याद है यूपीए-1 गवर्नमेंट में 76 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ हुआ था, लेकिन मोदी जी ने 9 साल में आज तक किसान का एक रुपया कर्ज माफ नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके का मोदी जी ने असत्य बोला, उस असत्य से न केवल हिन्दुस्तान का किसान बर्बाद हुआ, हिन्दुस्तान के किसान ने मोदी जी की आस में बैंक का ऋण नहीं भरा, जिससे बैंक के नो-ड्यूज बने और उससे उसकी जमीनें नीलाम हुईं। रोडा एक्ट में पूरे देश भर में कार्यवाहियां हुईं।

यह बात सही है कि 2017 में राजस्थान में अखिल भारतीय किसान सभा ने जब किसान की कर्ज मुक्ति का आन्दोलन लड़ा तो गत भाजपा सरकार ने 6 हजार करोड़ रुपये का ऋण माफ करने का असत्य झांसा दिया, जिसमें से 2 हजार करोड़ रुपये का उन्होंने ऋण माफ किया। ज्यों ही गहलोत साहब की सरकार बनी, इस सरकार ने किसानों के 14 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया, लेकिन आज भी सवाल है कि जिन लोगों के कामर्शियल बैंक के कर्जे हैं, उन किसानों का कर्जा कैसे उतरेगा? कई बार सदन में चर्चा हुई। सदन के नेता ने कहा कि हम बैंक से डायलॉग करेंगे और डायलॉग करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। भारत सरकार, राज्य सरकार और बैंक बैठकर किसान को कर्ज मुक्ति से पीछा छुड़ायेंगे। ये विधेयक तो लेकर आये। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में यह बात स्पष्ट नहीं है कि जो कामर्शियल बैंक हैं, उनका कर्जा इस कानून के तहत कितने दिन में माफ हो जायेगा। उसमें जो वित्तीय प्रावधान किये गये हैं, उन वित्तीय प्रावधान में यह बात नहीं लिखी कि राजस्थान सरकार क्या राजस्थान के किसान का हिस्सा दे देगी? मेरी मांग है कि आप बहुत जोरदार कानून लाये हैं। आपने रोडा एक्ट को रोकने की कोशिश तो की है, लेकिन इसमें राजस्थान के किसान पर जो कामर्शियल बैंक का, एस बी आई बैंक का, पी एन बी बैंक का, एक्सिस बैंक

(श्री बलवान पूनियां)

का, दूसरे प्राइवेट बैंकों के जो कर्जे के सी सी पर हैं, उनको माफ करने के लिए सरकार कितने बजट का प्रावधान करेगी? यह बात इस कानून में लाते हुए, अध्यक्ष महोदय, जो लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप हो किसान की जमीन नीलाम करने के पक्षधर। मोदी सरकार असत्य बोली है। अगर ये इस कानून के पक्ष में हैं तो इसका समर्थन करें और प्रदेश के किसान की कर्ज माफी करायें। प्रदेश के किसान को रोडा एक्ट की आगे से धमकी नहीं मिले। मैं मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव, किसान की सम्पूर्ण कर्ज माफी की मांग के साथ वापस लेता हूं। थैंक यू।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्रीमती शोभा चौहान (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री बलजीत यादव (अनुपस्थित)।

श्री नारायण सिंह देवल (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री छगनसिंह (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री जोराराम कुमावत (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): अध्यक्ष महोदय, आपने राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार ने जिस तरीके से हिन्दुस्तान के किसान के साथ में जो छलावा किया है, सारा देश इस बात को जानता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों को याद दिलाना चाह रहा हूं कि 2014 की वह नरेन्द्र मोदी साहब की रैली, जिसने किसान का 2022 में कर्जा माफ करने की बात की थी। उसको तो भूल गये, लेकिन मैं यू पी ए के पूर्व प्रधान मंत्री सरदार

(श्री जगदीश चन्द्र)

मनमोहन सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने पहली दफा 72 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया।

अध्यक्ष महोदय, 1960 में पहली बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा एम एस पी का प्रावधान किया गया है। आज देश में 6 परसेंट एम एस पी पर किसान की फसल खरीदी जा रही है। नाबार्ड की 2019 की एक रिपोर्ट के हिसाब से एक लाख रुपये का कर्जा प्रत्येक किसान पर है। कर्ज की वजह से काफी किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने और हिन्दुस्तान की यू पी ए सरकार ने इस किसान की हिफाजत की और उसको सम्बल प्रदान करने का प्रयास किया। राजस्थान सरकार यह जो संशोधन विधेयक लेकर आयी है, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और संशोधन का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 21 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 21 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 21 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

मंत्री जी प्रस्ताव रखेंगे।

विधेयक का पारण

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक, 2023 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक, 2023 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक, 2023 को पारित किया गया।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2023, श्री टीकाराम जूली।

विधेयक पर विचार

महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2023

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री बिहारीलाल (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री अशोक लाहोटी (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री अविनाश (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

सुश्री दिव्या मदेरणा (अनुपस्थित)।

श्री वासुदेव देवनानी (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, विधेयक के उद्देश्य और कारण स्पष्ट कह रहे हैं कि विशेष योग्यजनों की समस्याएं, पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं उपलब्ध करवाकर ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि। इस क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अध्यापन की उच्च संस्थाओं की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए बजट घोषणा 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा की गयी घोषणा के अनुपालन में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर के नाम से जोधपुर में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित होगा। हमें कोई एतराज नहीं कि जोधपुर में विश्वविद्यालय बने। यह सही बात है कि दिव्यांगों में अगर ज्ञान का प्रसार होगा, वे समाज में कटे हुए तबके के रूप में रहते हैं, वे भी बराबर आकर खड़े होंगे। ये समाजवादी थ्योरी सिद्धान्त के तहत उठाया गया कदम है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक ऐसा विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ में भी खुलवाएं। हमारे उधर भी दिव्यांग काफी हैं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मेरे जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेता हूं। थैंक यू।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री बलजीत यादव (अनुपस्थित)।

श्री जोराराम कुमावत (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(श्री अध्यक्ष)

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 52 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 52 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 52 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, स्वीकार किया गया।

माननीय मंत्री प्रस्ताव रखें।

विधेयक का पारण

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2023 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2023 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2023 पारित किया गया।

राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2023, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2023 को विचारार्थ किया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री बिहारीलाल (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री अशोक लाहोटी (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री अविनाश (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री रूपा राम मकराना (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

सुश्री दिव्या मदेरणा (अनुपस्थित)।

श्री वासुदेव देवनानी (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री सतीश पूनियां (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री बलवान पूनियां।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2023 जो आया है, इस विधेयक में केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 में पुर:स्थापित मूल परिवर्तनों और नई संकल्पनाओं को पूरा करने के लिए जो विधेयक सरकार लेकर आयी है, मेरी सरकार से इस विधेयक में मांग है कि राजस्थान प्रदेश में जो विद्युत उपभोक्ता हैं, जो घरेलू और ढाणियों के उपभोक्ता हैं, उनके साथ और जो उद्योगों और बड़े उद्योगों के उपभोक्ता हैं, उनके साथ समान व्यवहार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से कोई उपभोक्ता अगर गलती करता हुआ पकड़ा जाता है या चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है उसके लिए घरेलू या ढाणियों में कनेक्शन वाले लोग या फिर छोटे उद्योग वाले लोग, लघु उद्योग वाले लोगों को ए ईएन और एस ई चार्जशीट करते हैं। उनके बार-बार चक्कर

(श्री बलवान पूनियां)

लगाने के बाद भी उनके दंड को कम नहीं करते, जिससे लोगों को भारी नुकसान होता है। एक बड़ा उद्योग, जिसमें 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है और कितने वोल्टेज की रहती है, कितनी बढ़िया क्वालिटी की रहती है, वहां अगर कोई चोरी हो तो उसकी ऑडिट सिर्फ और सिर्फ चीफ इंजीनियर कर सकता है। मेरी सरकार से मांग है कि इसमें संशोधन किया जाए।

राजस्थान सरकार से मेरी एक मांग और है कि आपने जो ढाणियों में सर्वे करवाया था, अभी तक कनेक्शन नहीं दिए। पूरे राजस्थान में मुख्य मंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी कि आने वाले जुलाई महीने में ढाणियों में कनेक्शन दिए जाएंगे। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में 687 ढाणियां आज भी कनेक्शन से वंचित हैं। इस विधेयक में दिया हुआ जनमत जानने का प्रस्ताव मैं वापस लेता हूं, लेकिन ढाणियों में कनेक्शन की मांग करता हूं और उपभोक्ताओं के साथ समान व्यवहार की मांग करता हूं। धन्यवाद।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री अमृतलाल मीणा (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्रीमती शोभा चौहान (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री बलजीत यादव (अनुपस्थित)।

श्री हमीर सिंह भायल (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री नारायण सिंह देवल (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री छगनसिंह (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री जोराराम कुमावत (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

(श्री अध्यक्ष)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (माननीय सदस्य सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

प्रश्न यह है कि राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 31 तक कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 31 तक स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 31 तक स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय मंत्री जी प्रस्ताव रखेंगे।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2023 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2023 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2023 पारित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

मानननीय सदस्यगण, आज विधान सभा काल का अंतिम दिन है। आप सबसे निवेदन है कि अपने-अपने स्थान पर जाएं, जन गण मन होगा। माननीय सदस्य, अपने स्थान पर जाएं।

राष्ट्र गान शुरू करें।

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता
पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा,
द्राविड़-उत्कल-बंगा
विन्ध्य-हिमाचल, यमुना-गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन-गण-मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय-जय-जय-जय हे।

सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.56 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राशन डीलरों से पोस मशीन की कीमत की वसूली

604. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राशन डीलरों को दी गई पोस मशीन की कीमत वसूल करने के उपरान्त भी अब तक भी राशन डीलर के कमीशन में से उक्त राशि कट रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जालौर कलेक्टर द्वारा काया-कल्प नाम की योजना में राशन डीलर को स्वयं के खर्च से रंग रोगन कराने का आदेश दिया गया है? यदि हां, तो क्या ऐसी स्थिति में राशन डीलर उक्त योजना को फलीभूत कर सकेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजना को फलीभूत करने हेतु अन्य किसी योजना से रंग-रोगन कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में दायर विभिन्न रिटों के निर्णयों के अध्यधीन भविष्य में राशि रिलीज करने हेतु पोस मशीन की कीमत के पेटे कटौती राशि को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश के वैकेट होने तक WITHHELD किया जा रहा है

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान यूनिवर्सिटी आफ वेटरिनरी एण्ड एनिमल साइंसेज (राजुवास) की चारदीवारी

611. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी आफ वेटरनरी एण्ड एनिमल साइंसेज, (राजुवास) के महाविद्यालय क्षेत्र की मुख्य दीवार व चौधरी भीमसेन चौराहे के समीप चारदीवारी को नियम विरुद्ध तोड़ा गया है? यदि हां, तो किसके आदेश से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुमित गोदारा)

(2) क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चौधरी भीमसेन सर्किल पर ट्रैफिक जाम एवं दुर्घटनाओं के मद्देनजर स्थानीय लोगों द्वारा राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (राजुवास), बीकानेर प्रशासन से वार्ता के उपरांत पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर की जर्जर दीवार को तोड़कर पीछे किया गया।

(2) जी नहीं। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर की स्थानीय लोगों द्वारा तोड़ी गई जर्जर दीवार के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में आया है कि वर्तमान में उक्त स्थान पर कुछ असामाजिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अत: विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा तोड़ी गई दीवार को पुन: निर्माण करवाने का निर्णय लिया गया है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बूंदी के राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत संविदाकर्मी

549. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बूंदी के राजकीय चिकित्सालयों में वर्तमान में कितने संविदाकर्मी कार्यरत हैं? पदवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आर एम आर एस के अतिरिक्त भी संविदा पर कार्मिक लिये जा रहे हैं? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बूंदी के राजकीय चिकित्सालयों में वर्तमान में यू टी बी के माध्यम से 18 चिकित्सक कार्यरत हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

एन एच एम योजना में कार्यरत संविदा कार्मिकों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

जिला बूंदी के राजकीय चिकित्सालयों में वर्तमान में मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान (दवा) योजनान्तर्गत संविदा फार्मासिस्ट-13, डीडीसी हैल्पर-17 एवं मशीन विद मैन-70 की सेवायें ली जा रही हैं। सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

जिला बूंदी में मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजनान्तर्गत राजकीय चिकित्सालयों में रेडियोग्राफर-6, कम्प्यूटर आपरेटर-13, लैब टैक्नीशियन-13 एवं लैब हेल्पर 26 संविदा पर कार्यरत हैं।

जिला बूंदी में आर एम आर एस की निजी आय से लगे संविदा कार्मिकों की सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(2) जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा यू टी बी के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जाकर पदस्थापन किया जाता है।

एन एच एम योजना में संविदा कार्मिकों को भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चयन कर जिलों में पदस्थापित किया जाता है।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान (दवा) योजनान्तर्गत संविदा फार्मासिस्ट, मशीन विद मैन एवं डीडीसी हैल्पर के पदों पर आर एम आर एस के अतिरिक्त वित्त विभाग के परिपत्र 30.04.2018 के अनुसार सेवा प्रदाता एजेन्सी (प्लेसमेंट एजेन्सी) के द्वारा संविदा सेवायें ली जा रही हैं। परिपत्र परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजनान्तर्गत चिकित्सा केन्द्रों में नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक वित्त विभाग की स्वीकृति अनुसार संविदा कार्मिकों की सेवायें ली जा रही हैं।

(सूचियां एवं परिपत्र पुस्तकालय में रखे गये)

छबड़ा में संचालित स्वास्थ्य केन्द्र

550. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों में वर्तमान में किस-किस संवर्ग के कितने पद रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा बारां में संचालित चिकित्सा संस्थानों में विशेषज्ञ/चिकित्सकों एवं अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ब एवं स पर संलग्न है।

पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासम्भव शीघ्र लगाने के प्रयास किये जायेंगे।

नवसृजित/क्रमोन्नत पी एच सी, सी एच सी पर एवं जनजातीय बोर्डर एरिया एवं एस्पिरेशनल जिले में स्थित पी एच सी, सी एच सी में रिक्त चिकित्सा अधिकारियों के पद प्राथमिकता से यू टी बी के आधार पर नियुक्त करने के लिए 500 चिकित्सा अधिकारियों के पदों की जिलेवाइज सूची दिनांक 13.07.2023 को जारी कर दी गई है। जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से यू टी बी पर भरे जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के 172 रिक्त पदों को भरने हेतु निदेशालय

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

के पत्र क्रमांक 331 व 332 दिनांक 16.05.2023 के द्वारा अर्थना रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर को भिजवाई जा चुकी है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग आफिसर, फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहायक रेडियोग्राफर, लैब टेक्निशियन, ईसीजी टेक्निशियन, डेन्टल टेक्निशियन एवं नेत्र सहायक के पदों पर सीफू के माध्यम से विज्ञप्ति जारी कर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। लैब सहायक के 1,583 पदों के विरुद्ध 1,083 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं। शेष पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विभाग में रिक्त पदों के विरुद्ध यू टी बी के माध्यम से लगे कार्मिकों की कार्यावधि दिनांक 30.06.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक बढाई जा चुकी है।

उक्त के अतिरिक्त विभाग में वित्त विभाग द्वारा 5,000 पदों हेतु यू टी बी के माध्यम से कार्मिक लगाये जाने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उक्त में 3,500 पदों पर नर्सिंग आफिसर एवं ए एन एम के पदों पर यू टी बी कार्मिक लगाये जाने हेतु समस्त जिला कलेक्टर को अनुमति दी जा चुकी है। शेष 1,500 पदों पर पैरामेडिकल स्टाफ लगाये जाने हेतु समस्त जिला कलेक्टर को अनुमति दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रतापगढ़ में रिक्त पद

551. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में विभिन्न संवर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं व कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ में संचालित चिकित्सा संस्थानों में विशेषज्ञ/चिकित्सक के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ तथा अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

जी हां। पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासम्भव शीघ्र लगाने के प्रयास किये जायेंगे।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

नवसृजित/क्रमोन्नत पी एच सी, सी एच सी पर एवं जनजातीय बोर्डर एरिया एवं एस्पिरेशनल जिले में स्थित पी एच सी, सी एच सी में रिक्त चिकित्सा अधिकारियों के पद प्राथमिकता से यू टी बी के आधार पर नियुक्त करने के लिए 500 चिकित्सा अधिकारियों पदों की जिलेवाइज सूची दिनांक 13.07.2023 को जारी कर दी गई है। जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से यू टी बी पर भरे जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के 172 रिक्त पदों को भरने हेतु निदेशालय के पत्र क्रमांक 331 व 332 दिनांक 16.05.2023 के द्वारा अर्थना रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर को भिजवाई जा चुकी है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग आफिसर, फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहायक रेडियोग्राफर, लैब टेक्निशियन, ईसीजी टेक्निशियन, डेन्टल टेक्निशियन एवं नेत्र सहायक के पदों पर सीफू के माध्यम से विज्ञप्ति जारी कर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। लैब सहायक के 1,583 पदों के विरुद्ध 1,083 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं। शेष पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विभाग में रिक्त पदों के विरुद्ध यू टी बी के माध्यम से लगे कार्मिकों की कार्यावधि दिनांक 30.06.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक बढ़ाई जा चुकी है।

उक्त के अतिरिक्त विभाग में वित्त विभाग द्वारा 5,000 पदों हेतु यू टी बी के माध्यम से कार्मिक लगाये जाने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उक्त में 3,500 पदों पर नर्सिंग आफिसर एवं ए एन एम के पदों पर यू टी बी कार्मिक लगाये जाने हेतु समस्त जिला कलेक्टर को अनुमति दी जा चुकी है। शेष 1,500 पदों पर पैरामेडिकल स्टाफ लगाये जाने हेतु समस्त जिला कलेक्टर को अनुमति दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

चैत्री गुलाब के संरक्षण हेतु खेती को प्रोत्साहन

552. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार हल्दीघाटी के विश्व प्रसिद्ध चैत्री गुलाब के संरक्षण

(श्री धर्मनारायण जोशी)

हेतु उक्त की खेती को प्रोत्साहन देने एवं फसल बीमा व मुआवजा की श्रेणी में रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में फसल बीमा व मुआवजे की श्रेणी में कौन-कौनसी फसलें सम्मिलित हैं? क्या सरकार फसल बीमा से वंचित अन्य फसलों को भी उक्त श्रेणी में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देसी गुलाब की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत लघु एवं सीमांत कृषक को इकाई लागत (40,000 रुपये प्रति हैक्टेयर) का 40 प्रतिशत अधिकतम 16,000 रुपये प्रति हैक्टेयर एवं अन्य किसान को इकाई लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 10,000 रुपये प्रति हैक्टेयर अनुदान देय है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा के राज्य में स्वरूप का निर्धारण राज्य स्तरीय समन्वय समिति फसल बीमा दवारा भारत सरकार द्वारा जारी प्रचालन मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाता है। खरीफ 2023 से रबी 2025-26 के लिए हाल ही में की गई निविदा अंतर्गत उक्त समिति द्वारा उक्त फसल का राजसमंद में बुआई क्षेत्र नगण्य होने के कारण फसल को बीमा हेतु अधिसूचित नहीं किया गया है।

(2) वर्तमान में राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ में बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, ग्वार, चंवला, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, धान, कपास एवं मूंगफली तथा रबी में गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, जीरा, धनिया, ईसबगोल, मेथी, रबी मक्का एवं मसूर अधिसूचित हैं। साथ ही पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत हरी मिर्च, अमरूद, अरण्डी, अनार, टिण्डा, खजूर, मेहंदी, फूलगोभी, मटर, किन्नू, संतरा, खरीफ प्याज, आंवला, रबी प्याज, आम, नींबू, आलू, सौंफ, खरीफ टमाटर, रबी टमाटर, बैंगन, लहसुन एवं तरबूज राज्य में अधिसूचित हैं।

पूर्व की निविदा (2020-21 से 2022-23) तक 36 अधिसूचित फसलें बीमा अन्तर्गत शामिल थीं जबकि खरीफ 2023 से रबी 2025-26 के लिए 48 फसलें बीमा अन्तर्गत शामिल की गई हैं।

अरांई (किशनगढ़) में कृषि अधिकारी (उद्यान) के कार्यालय की स्थापना

553. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अजमेर में कृषि अधिकारी (उद्यान) के कार्यालय कहां-कहां पर कब से स्थापित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के अरांई उप खण्ड मुख्यालय पर कृषि अधिकारी (उद्यान) का कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले में कृषि अधिकारी (उद्यान) के नाम से कोई कार्यालय स्थापित नहीं है। वर्ष 1989-90 में सहायक निदेशक उद्यान का कार्यालय अजमेर जिले में स्थापित हुआ था, जिसे राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में उप निदेशक उद्यान कार्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया गया है। इस कार्यालय में कृषि अधिकारी (उद्यान) के 2 पद सृजित हैं।

(2) क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों के आधार पर नवीन कार्यालयों का सृजन किया जाता है। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के अरांई उप खण्ड मुख्यालय पर कृषि अधिकारी (उद्यान) का कार्यालय खोले जाने का राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बीकानेर संभाग में जल जीवन मिशन योजना के तहत जारी कनेक्शन

554. श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत तीन वर्ष में बीकानेर संभाग में जल जीवन मिशन योजना के तहत माह दिसम्बर, 2022 तक कितना बजट स्वीकृत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत जिला चूरू में हर घर नल हेतु कुल कितने कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? निर्धारित लक्ष्य अनुसार अब तक कितने कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अभिनेश महर्षि)

(3) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में उक्त योजना के तहत विगत तीन वर्ष में कुल कितने कनेक्शन दिये गये? संख्यात्मक विवरण सदन मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त योजना के कार्यों का निरीक्षण एवं योजना की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है? यदि हां, तो जिला चूरू में उक्त योजना की धीमी गति के क्या कारण रहे तथा सरकार द्वारा उक्त कार्य समय पर पूर्ण करवाने के संबंध में क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर संभाग में माह दिसम्बर, 2022 तक जल जीवन मिशन अंतर्गत राशि रुपये 1,92,739.45 लाख की वृहद परियोजनाओं/अन्य योजनाओं की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। जिलावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जल जीवन मिशन के तहत चूरू जिले में 2,67,407 क्रियाशील जल सम्बन्ध जारी किये जाने हेतु स्वीकृतियां जारी की गयी हैं, जिनमें से वर्तमान तक 1,31,751 जल सम्बन्ध जारी किये जा चुके हैं। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जल जीवन मिशन के तहत विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में 36,298 क्रियाशील जल सम्बन्ध जारी किये जाने हेतु स्वीकृतियां जारी की गयी हैं, जिनमें से अब तक 21,546 जल सम्बन्ध जारी किये जा चुके हैं। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जल जीवन मिशन के तहत चूरू जिले हेतु स्वीकृत कुल 05 वृहद परियोजनाओं एवं 114 अन्य योजनाओं में से 01 वृहद परियोजना एवं 99 अन्य योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 03 वृहद परियोजनाओं एवं 15 अन्य योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। शेष 01 वृहद पेयजल परियोजना आपणी योजना प्रथम चरण संवर्धन कार्य के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान में निविदा प्रक्रियाधीन है। वृहद परियोजनाओं एवं अन्य योजनाओं की कार्य प्रगति तथा निरीक्षण का विवरण परिशिष्ट-ब में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बीसलपुर पेयजल परियोजना की पाइप लाइनों का रख-रखाव

555. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में बीसलपुर बांध पेयजल का प्रमुख स्रोत है? यदि हां, तो बीसलपुर-अजमेर पेयजल परियोजना, बीसलपुर-दूदू पेयजल परियोजना तथा बीसलपुर-जयपुर पेयजल परियोजना की पाइप लाइनों के रख-रखाव व मरम्मत नहीं करने से व्यर्थ बह रहे पानी को कब तक रोक दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बीसलपुर बांध आधारित पेयजल परियोजनाओं यथा बीसलपुर-अजमेर पेयजल परियोजना, बीसलपुर-दूदू पेयजल परियोजना तथा बीसलपुर-जयपुर पेयजल परियोजना की पाइप लाइनों के रख-रखाव व मरम्मत का कार्य वर्तमान में संवेदकों के माध्यम से सुचारु रूप से करवाया जा रहा है। संविदा में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पाइप लाइनों में लीकेज, टूट-फूट इत्यादि की सूचना/शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित संवेदक द्वारा निर्धारित समयावधि में मरम्मत की जाती है। संवेदक द्वारा निर्धारित समय में कार्यवाही नहीं किये जाने पर संवेदक के विरुद्ध संविदा की शर्तों के अनुसार शास्ति आरोपित की जाती है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मालवीय नगर में स्थापित हैण्डपम्प व नलकूप

556. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मालवीय नगर में माह दिसम्बर, 2018 से माह दिसम्बर, 2022 तक कितने बोरिंग, हैण्डपम्प तथा नलकूप लगाये जा चुके हैं एवं कितने लगाये जाने प्रस्तावित हैं? वार्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त बोरिंग, हैण्डपम्प तथा नलकूप में से कितने चालू हैं एवं कितने किस कारण से बन्द हैं? वार्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मालवीय नगर में माह दिसम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2022 तक की अवधि में 98 नलकूपों के निर्माण की स्वीकृतियां

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

जारी की गयीं तथा किसी भी हैंडपंप के निर्माण की स्वीकृति जारी नहीं की गयी। स्वीकृत नलकूपों में से 97 नलकूप माह दिसम्बर, 2022 तक निर्मित किये जा चुके थे तथा एक नलकूप निर्मित किया जाना शेष था, जिसे माह जनवरी-2023 में निर्मित करवाया जा चुका है। वार्डवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त सभी नलकूप वर्तमान में कार्यरत हैं। विवरण परिशिष्ट-अ में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर में अवैध पेयजल कनेक्शन

557. श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में नागौरी गेट कलाल कालोनी के पास, खाण्डा फलसा, गंगलाव तालाब, बकरा मण्डी, बलदेव नगर-मसुरिया, चांदणा भाखर आदि क्षेत्रों में सामान्य पेयजल कनेक्शन लेकर कपड़ों की रंगाई-छपाई की व्यावसायिक गतिविधियों हेतु भारी मात्रा में पानी का उपयोग कर प्रदूषित-रसायनयुक्त रंगीन जल को सीवरेज लाइनों व विभिन्न जलाशयों की प्राचीन नहरों में बहाया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त पेयजल कनेक्शनों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्मिकों व अभियन्ताओं द्वारा अब तक प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त प्रकरणों में क्षेत्रीय कार्मिकों तथा अभियन्ताओं के हितबद्ध सहयोग की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त समस्त दुरुपयोग किये जा रहे वैध व अवैध पेयजल कनेक्शन को बंद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर में नागौरी गेट कलाल कालोनी के पास, खाण्डा फलसा, गंगलाव तालाब, बकरा मण्डी, बलदेव नगर-मसुरिया, चांदणा भाखर आदि क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों में से कुछ निवासियों के द्वारा कपडों की रंगाई-छपाई से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं। जिन

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

उपभोक्ताओं द्वारा विभागीय पेयजल का उपयोग इन व्यावसायिक गतिविधियों में किया जा रहा है, उन उपभोक्ताओं से विभागीय परिपत्र संख्या 18886-902 दिनांक 31.03.2017 के अनुसरण में जल शुल्क अघरेलू श्रेणी के अंतर्गत वसूल किया जा रहा है। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

विभाग के कार्मिकों एवं अभियंताओं द्वारा पूर्व में जारी जल संबंधों की समय-समय पर जांच की जाती है तथा जांच में अघरेलू गतिविधियां यथा रंगाई-छपाई इत्यादि पाये जाने पर उक्त परिपत्रानुसार जल संबंधों की श्रेणी घरेलू से अघरेलू में परिवर्तित की जाकर अघरेलू श्रेणी की दर से जल राजस्व की वसूली की जाती है। वर्तमान में उक्त क्षेत्रों में 1,782 अघरेलू श्रेणी के जल सम्बन्ध क्रियाशील हैं। क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) उपरोक्तानुसार। विभाग के कार्मिकों एवं अभियंताओं द्वारा पूर्व में जारी जल संबंधों की समय-समय पर जांच की जाती है तथा जांच में अघरेलू गतिविधियां यथा रंगाई-छपाई इत्यादि पाये जाने पर उक्त परिपत्रानुसार जल संबंधों की श्रेणी घरेलू से अघरेलू में परिवर्तित की जाकर अघरेलू श्रेणी की दर से जल राजस्व की वसूली की जाती है।

(3) विभाग द्वारा वैध जल संबंधों से उनकी श्रेणी के अनुसार जल राजस्व की वसूली की जा रही है तथा अवैध जल संबंधों हेतु समय-समय पर अभियान चलाकर अवैध जल संबंधों को काटे जाने की कार्यवाही की जाती है।

दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से प्रारम्भ अभियान के अंतर्गत उक्त क्षेत्रों में विभाग द्वारा 53 अवैध जल सम्बन्ध काटे गये हैं। क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-ब में निहित है।

(प्रति एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नागौर में डी एम एफ टी के अन्तर्गत कार्य

558. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला नागौर में विगत दो वर्ष में डी एम एफ टी के अन्तर्गत जनहित में कहां-कहां पर कौन-कौन से कार्य कराये गये तथा उक्त पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नागौर जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट फण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 (दिनांक 26.07.2023 तक) में कराये

(खान मंत्री)

गये कार्य एवं उन पर व्यय हुई राशि का कार्यवार, स्थानवार विवरण परिशिष्ट -1 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भूतपूर्व पंचायत जन-प्रतिनिधियों को पेंशन

559. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में भूतपूर्व प्रधानों, पंचायत समिति सदस्यों तथा सरपंचों को पेंशन नहीं दी जाती है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सभी भूतपूर्व जन-प्रतिनिधियों को पेंशन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम-1996 में प्रदेश में भूतपूर्व प्रधानों, पंचायत समिति सदस्यों तथा सरपंचों को पेंशन दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में उक्त सभी भूतपूर्व जन-प्रतिनिधियों को पेंशन दिये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बदनोर पंचायत समिति कार्यालय (आसीन्द) के नवीन भवन का निर्माण

560. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विभाग में यथासमय डी पी सी करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति आसीन्द, बदनोर, हुरडा में कार्मिकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से तथा उक्त को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के पंचायत समिति

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

बदनोर के नवीन भवन के लिए भूमि व भवन स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नियमानुसार रिक्त पद उपलब्ध होने पर नियमित रूप से डी पी सी की जाती है।

(2) पंचायत समिति आसीन्द, बदनोर, हुरडा में कार्मिकों के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

पं.स.	**पदनाम**	**रिक्त पदों की संख्या**
आसीन्द	सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय	01
	सहायक विकास अधिकारी	03
	कनिष्ठ अभियंता	01
	वरिष्ठ सहायक	02
	कनिष्ठ सहायक	06
	ग्राम विकास अधिकारी	07
	वाहन चालक	01
	कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत	02
बदनोर	अतिरिक्त विकास अधिकारी	01
	सहायक लेखाधिकारी-प्रथम	01
	सहायक अभियंता (नरेगा)	01
	कनिष्ठ अभियंता	01
	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	01
	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	01
	वरिष्ठ सहायक	01
	कनिष्ठ सहायक	01
	ग्राम विकास अधिकारी	06
हुरडा	सहायक विकास अधिकारी	02
	कनिष्ठ अभियंता	03
	ग्राम विकास अधिकारी	08
	वाहन चालक	01
	फीटर	01
	हैण्डपम्प मिस्त्री	05

(पंचायती राज मंत्री)

पदों का रिक्त होना एवं भरना राज्य सरकार की एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें रिक्त पदों को सीधी भर्ती, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण/पदस्थापन के माध्यम से भरा जाता रहा है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र आसीन्द की पंचायत समिति बदनोर के नवीन भवन हेतु भूमि का आबंटन हो चुका है (संलग्न जमाबंदी) तथा भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

राशन डीलरों को बकाया राशि का भुगतान

561. श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राशन डीलर का मानदेय बढ़ाने एवं उनको संविदाकर्मी घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में अनेक स्थानों पर राशन डीलरों द्वारा किये गये राशन वितरण का कमीशन बकाया है? यदि हां, तो उक्त बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राशन डीलर का मानदेय बढ़ाने एवं उनको संविदाकर्मी घोषित करने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत माह अप्रैल व मई, 2023 के कमीशन भुगतान हेतु व्यय स्वीकृति जारी कर दी गई है, जिसके भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। माह जून व जुलाई, 2023 के कमीशन भुगतान हेतु व्यय स्वीकृतियां जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है।

खाद्य सुरक्षा में चयनित परिवारों में नवीन नाम जोड़ने की कार्ययोजना

562. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बिहारीलाल)

(1) क्या यह सही है कि खाद्‌य सुरक्षा में चयनित परिवारों में नये जन्मे बच्चों व विवाह होने के कारण नवीन नाम जोड़ने हेतु विभाग द्‌वारा निर्देश दिये गये थे? क्या उक्त के निर्देश के पश्चात् चयनित परिवारों में नये नाम जोड़े जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार खाद्‌य सुरक्षा के तहत लाभान्वित परिवारों के राशन कार्ड को परिवार में जन्म, विवाह के कारण हुई वृद्धि से अपडेट करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जारी निर्देशों के क्रम में चयनित परिवारों में नये नाम जोड़ने हेतु पूर्व में प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है।

(2) उत्तर बिन्दु संख्या-1 में समाहित है।

वर्तमान में खाद्‌य सुरक्षा के तहत लाभान्वित परिवारों के राशन कार्ड को परिवार में जन्म, विवाह के कारण हुई वृद्धि से अपडेट करने हेतु नवीन आवेदन की प्रक्रिया बंद है।

वल्लभनगर में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति

563. श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र भारत सरकार द्‌वारा निर्धारित नोर्म्स के अनुसार स्वीकृत किये जाते हैं।

वर्तमान में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार की रोक है। राज्य सरकार द्‌वारा वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा संख्या 78(1) में 8 हजार नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 2 हजार नवीन मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने की घोषणा की गई थी, जिसके तहत जिलों से प्रस्ताव मंगवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के अन्तर्गत 2 बाल विकास

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

परियोजनाएं भीण्डर एवं गिर्वा संचालित हैं। परियोजना भीण्डर में 12 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र एवं परियोजना गिर्वा में 15 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र, कुल 27 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए हैं, जिन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा व बूंदी के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद

564. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला कोटा व बूंदी में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कब से संचालित हैं तथा उक्त में महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक तथा कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी व सहायिकाओं के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं व कितने रिक्त हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में कोटा जिले में 1,277 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं बूंदी जिले में 1,205 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। आंगनबाड़ी केन्द्र कब से तथा किस स्थान पर संचालित हैं एवं अन्य विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त जिलों में बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं	जिला	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	कोटा	बाल विकास परियोजना अधिकारी	6	3	3
		महिला पर्यवेक्षक	40	29	11
		आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	1282	1246	36
		आंगनबाड़ी सहायिका	1129	1099	30
2	बूंदी	बाल विकास परियोजना अधिकारी	5	4	1
		महिला पर्यवेक्षक	38	27	11
		आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	1205	1189	16
		आंगनबाड़ी सहायिका	1014	994	20

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

चिकित्सा विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर कोटा व बूंदी जिले में आशा सहयोगिनियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं	जिला	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	कोटा	आशा सहयोगिनी	1129	1096	33
2	बूंदी	आशा सहयोगिनी	1014	979	35

(2) विभाग द्वारा 63 बाल विकास परियोजना अधिकारी के पदों एवं 47 सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु कार्मिक विभाग को अर्थना प्रेषित की हुई है। चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर उपलब्धता के आधार पर पदों को भरा जा सकेगा।

महिला पर्यवेक्षक (ओपन मार्केट) के 209 एवं महिला पर्यवेक्षक (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोटे) के 202 पदों की चयन बोर्ड को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु अर्थना प्रेषित की जा चुकी है। भर्ती प्रक्रियाधीन है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यकर्ता व सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने हेतु समय-समय पर जिला उप निदेशकों के माध्यम से विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किये जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है, जो एक सतत प्रक्रिया है।

चिकित्सा विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा द्वारा आशा सहयोगिनियों के 33 रिक्त पदों पर चिकित्सा विभाग द्वारा जारी पूर्व में की गई विज्ञप्ति से 13 आशा सहयोगिनियों का चयन कर लिया गया है तथा शेष 20 पदों हेतु विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बूंदी द्वारा 10 आशा सहयोगिनियों के रिक्त पदों हेतु विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है तथा 25 रिक्त पदों हेतु विज्ञप्ति जारी करना प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शेरगढ़ में संचालित मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र

565. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्तमान में कुल कितने आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती मीना कंवर)

(2) उक्त केन्द्रों में आशा सहयोगिनियों के कुल कितने पद सृजित हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में 2 बाल विकास परियोजनाएं बालेसर एवं शेरगढ़ संचालित हैं। परियोजना बालेसर में 133 आंगनबाड़ी केन्द्र, 15 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र, कुल 148 केन्द्र संचालित हैं तथा परियोजना शेरगढ़ में 141 आंगनबाड़ी केन्द्र, 47 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र, कुल 188 केन्द्र संचालित हैं जिनका ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त 336 केन्द्रों में से 62 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में केवल 01 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रति केन्द्र ही स्वीकृत है। शेष 274 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर चिकित्सा विभाग की सूचना के अनुसार आशा सहयोगिनियों के 274 पद सृजित हैं, जिनमें से 35 पद विगत 5 साल से रिक्त हैं।

(3) जी हां। चिकित्सा विभाग की सूचना के अनुसार रिक्त पदों को भरने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

566. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए क्या-क्या सुविधाएं होना आवश्यक हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला अजमेर के कुछ आंगनबाड़ी केन्द्र भवन एवं भूमिविहीन होने से उक्त केन्द्रों का संचालन सुचारु रूप से नहीं हो रहा है? यदि हां, कितनों का? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले में शेष रहे आंगनबाडी केन्द्रों के लिए भूमि आबंटित कर भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभार्थियों के बैठने हेतु उचित स्थान, विद्युत, पेयजल, शौचालय इत्यादि सुविधाएं होना आवश्यक हैं, जिनके निर्देश/ परिपत्रों की प्रतियां परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। अजमेर जिले में कुल 900 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन राजकीय विद्यालयों, किराये के भवनों एवं अन्य सरकारी भवनों में सुचारु रूप से किया जा रहा है, जिनका परियोजनावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	**परियोजना**	**स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र**	**विभागीय भवनों में**	**किराये के भवनों में**	**सरकारी विद्यालयों में**	**अन्य सरकारी भवनों में**
1	अजमेर शहर	159	17	110	25	7
2	अराईं	108	75	0	25	8
3	ब्यावर	117	0	102	13	2
4	भिनाय	127	83	0	32	12
5	जवाजा	212	135	3	55	19
6	केकड़ी	189	157	5	17	10
7	किशनगढ़ शहर	105	3	84	14	4
8	किशनगढ़ ग्रामीण	177	104	0	61	12
9	मसूदा	207	145	3	39	20
10	पीसांगन	135	73	35	19	8
11	श्रीनगर	200	150	5	16	29
12	पुष्कर	108	56	10	32	10
13	सरवाड़	124	70	0	36	18
	योग-	**1968**	**1068**	**357**	**384**	**159**
	गैर विभागीय भवनों में संचालित केन्द्र-			**900**		

(3) जी हां। आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से क्रमश: किराये के भवनों, नि:शुल्क भवनों, सामुदायिक भवनों एवं अंत में राजकीय विद्यालयों की एवज में निर्धारित नोर्म्स के अनुसार

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

करवाया जाता है। विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण भारत सरकार से अनुदान राशि प्राप्त होने के पश्चात् नरेगा, 15वें वित्त आयोग इत्यादि योजनाओं के कन्वर्जेंस से करवाया जाता है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

डग में क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

567. श्री कालूराम (डग): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में कौन-कौनसे गांव माह जून, 2023 तक सड़कों से नहीं जुड़ पाये हैं? क्या सरकार उक्त गांवों को डामर सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में कुल 329 राजस्व ग्राम में से 301 राजस्व ग्राम डामर सड़क से जुड़े हुए हैं एवं 28 गांव डामर सड़क से वंचित हैं। उक्त गांवों को डामर सड़क से जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डग में कुल 1,047.85 किमी. डामर सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित है, जिसमें से 62.65 किमी. डामर सड़क क्षतिग्रस्त (नॉन पेचेबल) है। क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

माण्डलगढ में सड़क मरम्मत के कार्य

568. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में विगत दो वर्ष में सड़क निर्माण के तथा मरम्मत के कितने कार्य, कितनी राशि के स्वीकृत किये गये व उक्त में से कितने कार्य कितनी राशि व्यय कर पूर्ण कर दिये गए हैं व कितने कार्य अपूर्ण हैं? उक्त अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में विगत 02 वर्षों में स्वीकृत सड़क निर्माण कार्यों का मय स्वीकृत राशि, व्यय एवं पूर्ण/अपूर्ण स्थिति का विवरण परिशिष्ट-1 पर एवं रिपेयर कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

दौसा से कुचामन तक सड़क का नवीनीकरण

569. श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार दौसा से कुचामन वाया लवाण, तूंगा, चाकसू, फागी, दूदू एवं सांभर (स्टेट हाईवे-02) किमी 54/0 से 67/0 एवं 71/0 से 90/0 तक सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खेड़ापति बालाजी से ग्राम पंचायत चांदमा कलां एवं चित्तौड़ा रोड से माधोराजपुरा वाया कांटोली तक सड़कों का डामरीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त सड़क की सी.आर.आई.एफ. योजना में राशि रु. 42.00 करोड़ की स्वीकृति का केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पत्रांक NH-28014/1/2020-RO Jaipur दिनांक 07.07.2023 द्वारा अनुमोदन जारी किया गया है। उक्त सड़क की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त होने के उपरान्त निविदा आमंत्रित कर 01 वर्ष में कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

(2) प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खेड़ापति बालाजी से ग्राम पंचायत चान्दमा कलां की लम्बाई 6.30 किमी एवं चित्तौड़ा रोड से माधोराजपुरा वाया कांटोली

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

तक सड़क की लम्बाई 8.00 किमी. है। उक्त सड़कों के डामरीकरण की स्वीकृति जारी करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

खींवसर उप खण्ड मुख्यालय में डाक बंगले का निर्माण

570. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार खींवसर उप खण्ड मुख्यालय पर आमजन की सुविधा हेतु डाक बंगला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त उप खण्ड मुख्यालय पर डाक बंगला बनाने के लिये जमीन आबंटित हो गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खींवसर उप खण्ड मुख्यालय पर आमजन की सुविधा हेतु डाक बंगला बनाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

(2) जी हां। उप खण्ड मुख्यालय पर डाक बंगला बनाने के लिए जमीन आबंटित हो गई है। (जमीन आबंटन आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न।)

खींवसर उप खण्ड मुख्यालय पर डाक बंगला बनाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

छात्रावासों में कार्यरत संविदाकर्मियों को स्थायी करने की कार्ययोजना

571. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में संविदा पर अथवा प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से चौकीदार व अन्य पदों पर पांच वर्ष

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

से भी अधिक समय से कार्यरत हैं? क्या सरकार उक्त सभी कार्मिकों को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में रसोइया/चौकीदार के रिक्त पदों के विरुद्ध एवं नवीन स्वीकृत छात्रावासों में उपलब्ध बजट प्रावधान के अन्तर्गत वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र क्रमांक 1/2018 दिनांक 30.04.2018 अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार प्रतिवर्ष प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले श्रमिकों से जॉब बेसिस पर कार्य कराया जाकर समय-समय पर श्रम विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है। उक्तानुसार कार्यरत ऐसे कार्मिकों को स्थायी करने संबंधी कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं हैं।

कोटा संभाग में देवस्थान की भूमि पर अतिक्रमण

572. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विभाग में सहायक आयुक्त व प्रबन्धक के क्या-क्या कार्य हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या संभाग व जिला स्तर पर नियुक्त उच्च अधिकारियों की विभाग की जमीन पर अतिक्रमण रोकने की कोई जिम्मेदारी है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा अपने अधिकारियों को विभाग की जमीन को अतिक्रमण से बचाने के लिए कोई निर्देश दिये गये थे? यदि हां, तो कोटा संभाग में विभाग के उच्च अधिकारियों ने उक्त निर्देशों की पूर्णतया पालना की है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) (i) देवस्थान विभाग में सहायक आयुक्त के कार्य के संबंध में शासन उप सचिव, देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 8 (17)देव/81 जयपुर दिनांक 27.06.1998 द्वारा निर्धारित मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(ii) देवस्थान विभाग में प्रबंधकों के मानदण्ड अनुभाग अधिकारी, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग की आज्ञा क्रमांक एफ. 14(18)राज/ग्रुप-1/76 जयपुर दिनांक 30.04.1981 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(देवस्थान मंत्री)

(2) जी हां। देवस्थान विभाग द्वारा समय-समय पर संभाग और जिला स्तर पर नियुक्त देवस्थान विभाग के अधिकारियों को देवस्थान विभाग की जमीन पर अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी है। इस संबंध में देवस्थान विभाग के डिवीजन कार्यालय में नियुक्त सहायक आयुक्त, निरीक्षक एवं मंदिर प्रबंधकों का दायित्व है कि वे विभागीय मंदिरों की भूमि का निरीक्षण समय-समय पर करते रहें एवं कोई अतिक्रमण नहीं होने दें एवं यदि कोई अतिक्रमण है तो राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 12.09.2018 के अनुरूप अतिक्रमण हटाने हेतु संबंधित तहसीलदार (राजस्व) से समन्वय कर अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही करावें।

(3) देवस्थान विभाग द्वारा विभागीय मंदिरों की कृषि भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते हैं। इस क्रम में परिपत्र प. 12(9) देव/2020 दिनांक 31.05.2021 द्वारा निर्देश दिये गये। इस पर पालना में आयुक्तालय, देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्तों को कार्यालय पत्रांक एफ 3(2) संपदा/देव/533 दिनांक 11.06.2021 द्वारा निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों की पालना सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, कोटा द्वारा भी अपेक्षित थी। जिसके अनुसार राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री पद्मनाथजी, झालरापाटन एवं मंदिर श्री द्वारकाधीश जी, झालरापाटन की 2.9912 है. भूमि एवं मंदिर श्री केशवरायजी, पाटन की 1.67 है. भूमि से अतिक्रमण हटाया जाकर भूमि को विभाग के कब्जे में लिया गया है।

राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर कर्णेश्वर महादेव जी, कंसुआ की भूमि के खसरा नं. 175-176 कुल किता 2 रकबा 0.38 है. भूमि का ई.टी.एस. तकनीक द्वारा सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया है। अतिक्रमी के विरुद्ध नियमों अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जनजाति विकास हेतु संचालित विशेष केन्द्रीय सहायता योजना

573. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में जनजाति विकास हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता योजना अन्तर्गत चयनित ग्रामों का आकलन किया जाकर उनके विकास में हो रहे अंतराल की पूर्ति हेतु कार्य करवाये जा रहे हैं? यदि हां, तो किस प्रकार के कार्य किस प्रक्रिया से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीना)

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में भी ऐसे ग्रामों को चयनित किया जाकर कार्य करवाये जा रहे हैं? यदि हां, तो किस-किस चयनित ग्राम में क्या-क्या कार्य अब तक करवा दिये गये हैं तथा शेष कार्य कब तक करवा दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजनान्तर्गत कार्य स्वीकृति हेतु जन-प्रतिनिधियों तथा जिला स्तर से भिजवाये जाने के उपरान्त अब तक स्वीकृत नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है तथा उक्त कार्य कब तक स्वीकृत कर पूर्ण करवा दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों को आदर्श ग्राम बनाने के लक्ष्यों एवं मार्गदर्शिका के अनुरूप ग्रामों की ग्राम विकास योजना तैयार कर विकास कार्य कराये जाते हैं। योजनान्तर्गत चिकित्सा, स्वास्थ्य, आजीविका तथा शिक्षा आदि के सेक्टर के कार्यों को प्राथमिकता से करवाया जाना सुनिश्चित है। योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्य एवं प्रक्रिया हेतु मार्गदर्शिका की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा कोटा में जनजातीय विकास हेतु प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत कुल 14 ग्रामों का चयन हुआ। इन ग्रामों की ग्राम विकास योजना में 337 कार्यों के प्रस्ताव जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को अनुमोदन हेतु प्रेषित किये गये हैं। कार्यों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों (कोटा जिला सहित) की ग्राम विकास योजना तैयार की जाकर जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित की जा चुकी है। अनुमोदन उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव हो पायेगा।

(प्रति एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)